रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275428
CG-DL-E-13082026-275428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948
No. 650] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 714(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 143 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), खंड(ग), खंड(ङ), खंड(छ), खंड(ज), खंड(झ), खंड(ञ), खंड(ट) और खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) *इन नियमों का संक्षिप्त नाम*वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और तलछट नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 *है।*

(2) ये भारत द्वारा *जलयानों के बैलास्ट जल और तलछटों के नियंत्रण तथा प्रबंधन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2004* की स्वीकृतिकी दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— (1) इन नियमों के उपबंध वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 131 के उपबंधों के अनुसार लागू होंगे।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसे जलयान, जिन्हें बैलास्ट जल वहन करने के लिए अभिकल्पित या निर्मित नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे जलयान, जो केवल तटीय जलक्षेत्रों में संचालित होते हैं, जब तक कि महानिदेशक यह अवधारित न कर दे कि ऐसे जलयानों से बैलास्ट जल का निर्वहन भारत के पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों अथवा निकटवर्ती या अन्य राज्यों के पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों को क्षति पहुंचाएगा या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा;

(ग) ऐसे भारतीय जलयान, जो केवल उच्च समुद्र में संचालित होते हैं, जब तक कि महानिदेशक यह अवधारित न कर दे कि ऐसे जलयानों से बैलास्ट जल का निर्वहन भारत के पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों अथवा निकटवर्ती या अन्य राज्यों के पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों को क्षति पहुंचाएगा या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा;

(घ) जलयानों में सीलबंद टैंकों में स्थित स्थायी बैलास्ट जल, जो निर्वहन के अधीन नहीं है।

3. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क)"अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेतहै;

(ख)"सक्रिय पदार्थ" से ऐसा पदार्थ, रसायन अथवा जीव अभिप्रेत है, जिसमें विषाणुअथवा कवकभी सम्मिलित हैं, जो हानिकारक जलीय जीवों तथा रोगजनकों के विरुद्ध सामान्य अथवा विशिष्ट प्रभाव या क्रिया करता हो;

(ग)"प्रशासन" से, किसी ऐसे जलयान के संबंध में जो किसी अन्य राज्य का ध्वज फहराने का अधिकार रखता हो, उस राज्य की सरकार अभिप्रेत होगी; और समुद्रतल और उसके अधःस्तर के अन्वेषण तथा दोहन में संलग्न स्थिर अथवा तैरते प्लेटफॉर्मों, जिनमें फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट्स और फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज और ऑफलोडिंग यूनिट्स सम्मिलित हैं, और जो तटीय राज्य के तट से लगे ऐसे क्षेत्र में स्थित हों जहां वह राज्य प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन के प्रयोजनों हेतु संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करता हो, के संबंध में संबंधित तटीय राज्य की सरकार अभिप्रेत होगी;

(घ) "आब्दिकी दिनांक" से प्रत्येक वर्ष का वह दिन और माह अभिप्रेत है जो प्रमाणपत्र की समाप्ति दिनांक के अनुरूप हो;

(ङ) "बैलास्ट जल" से उस जल और उसमें निलंबित पदार्थ अभिप्रेत है जिसे जलयान पर ट्रिम, सूची, ड्राउट, स्थिरता अथवा जलयान पर पड़ने वाले तनावों को नियंत्रित करने हेतु लिया जाता है;

(च) "बैलास्ट जल क्षमता" से जलयान में बैलास्ट जल के वहन, भरण अथवा निष्कासन के लिए प्रयुक्त सभी टैंकों, स्थानों अथवा कक्षों की कुल आयतन क्षमता अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे बहुउद्देश्यीय टैंक, स्थान अथवा कक्ष भी सम्मिलित हैं जिन्हें बैलास्ट जल के वहन हेतु अभिकल्पित किया गया हो;

(छ) "बैलास्ट जल प्रबंधन" से यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं, चाहे वे एकल रूप से अथवा संयुक्त रूप से प्रयुक्त हों, जिनका उद्देश्य बैलास्ट जल और तलछटों में उपस्थित हानिकारक जलीय जीवों और रोगजनकों को हटाना, निष्प्रभावी करना अथवा उनके ग्रहण अथवा निर्वहन को रोकना हो;

(ज) "बी डब्ल्यु एम एस संहिता" से समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति के संगठन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित संकल्प संख्या 300(72) द्वारा अंगीकृत बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणालियों के अनुमोदन हेतु संहिता अभिप्रेतहै, किंतु ऐसे संशोधन यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल और तलछट नियंत्रण तथा प्रबंधन अभिसमय, 2004 के अनुच्छेद 19 के अनुसार अंगीकृत और प्रवर्तित किए गए हों;

(झ)"प्रमाणपत्र" से, यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र अथवा भारतीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ञ) "निर्मित" से, किसी जलयान के संबंध में, निर्माण की वह अवस्था अभिप्रेत है जिसमें—

(i)कील रख दी गई हो; या

(ii)विशिष्ट जलयान से संबद्ध निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया हो; या

(iii)संरचनात्मक सामग्री के कुल अनुमानित भार का कम-से-कम 50 टन अथवा एक प्रतिशत (जो भी कम हो) का संयोजन प्रारम्भ हो गया हो; या

(iv) जलयान में कोई प्रमुख संपरिवर्तन किया गया हो;

(ट)"अभिसमय" से यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल और तलछट नियंत्रण तथा प्रबंधन अभिसमय, 2004 अभिप्रेतहै;

(ठ)"हानिकारक जलीय जीव और रोगजनक" से ऐसे जलीय जीव अथवा रोगजनक अभिप्रेत हैं जो समुद्र, जिसमें मुहानेभी सम्मिलित हैं, अथवा मीठे जल के स्रोतों में प्रवेश किए जाने पर पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हों, जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हों अथवा ऐसे क्षेत्रों के अन्य विधिमान्य उपयोगों में बाधा उत्पन्न कर सकते हों;

(ड)"निकटतम भूमि" का वही अर्थ होगा जो अभिसमय में उसका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के विशेष आधार-रेखाको भी सम्मिलित किया गया है;

(ढ)"संगठन" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन अभिप्रेतहै;

(ण)"मान्यता प्राप्त संगठन" से ऐसा वर्गीकरण समाज अथवा अन्य निकाय अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 9 के अधीन केंद्रीय सरकार की ओर से सांविधिक सर्वेक्षण, लेखा-परीक्षण, निरीक्षण, अनुमोदन और प्रमाणन संबंधी कार्य करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की गई हो;

(त)"तलछट" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जो जलयान के भीतर बैलास्ट जल से पृथक होकर नीचे बैठ जाता है;

(थ)"अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न वह अनुसूची अभिप्रेत है जिसमें अभिसमय की अपेक्षाएं निहित हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

4. जलयानों के लिए सामान्य अपेक्षाएं.-(1) जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, बैलास्ट जलका निर्वहन केवल पहली अनुसूची के उपबंधों के अनुसार बैलास्ट जल प्रबंधन के माध्यम से ही किया जाएगा।

(2) जहां किसी जलयान को उपचारित अपशिष्ट जलया ग्रे जल को बैलास्ट टैंकों में संग्रहीत करना आवश्यक हो, वहां वह वाणिज्य पोत परिवहन (जलयानों से मलजल द्वारा प्रदूषण की रोकथाम) नियम, 2026 के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करेगा।

5. अपवाद.-

इन नियमों की पहली अनुसूची के पैरा 3 की अपेक्षाएं निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी—

(क)आपातकालीन परिस्थितियों में जलयान की सुरक्षा सुनिश्चित करने अथवा समुद्र में जीवन बचाने के प्रयोजन से आवश्यक बैलास्ट जल और तलछटका ग्रहणया निकास; या

(ख)जलयान या उसके उपकरणों को हुई क्षति के परिणामस्वरूप बैलास्ट जल और तलछट का आकस्मिक निकास या प्रवेश:

परंतु यह कि—

(i) क्षति होने से पूर्व और पश्चात, अथवा क्षति या निकास का पता चलने पर, निकास को रोकने या न्यूनतम करने हेतु सभी युक्तियुक्त सावधानियां बरती गई हों; और

(ii) स्वामी, कंपनी अथवा प्रभारी अधिकारी ने जान बूझकर या बिना सोचे विचारे क्षति उत्पन्न न की हो; या

(ग)जलयान से होने वाली प्रदूषण घटनाओं को टालने या न्यूनतम करने के उद्देश्य से बैलास्ट जल और तलछट का ग्रहण और निकास; या

(घ)उच्च समुद्र में उसी बैलास्ट जल और तलछट का ग्रहण और तत्पश्चात निकास; या

(ङ)ऐसे स्थान पर बैलास्ट जल और तलछट का निकास, जहां से वह समस्त बैलास्ट जल तथा तलछट मूल रूप से ग्रहण किए गए थे, किंतु अन्य क्षेत्रों के अप्रबंधित बैलास्ट जल और तलछट के साथ कोई मिश्रण न हुआ हो; या

(च)यदि मिश्रण हुआ हो, तो अन्य क्षेत्रों से लिए गए बैलास्ट जल का इन नियमों के अनुसार बैलास्ट जल प्रबंधन किया गया हो।

6. छूट.-(1)महानिदेशक, इन नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य छूटों के अतिरिक्त, पहली अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 7 की किसी भी अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकता है, किंतु ऐसी छूट—

(क)किसी जलयान या जलयानों को निर्दिष्ट पत्तनों या स्थानों के बीच एक या अधिक यात्राओं के लिए, अथवा ऐसे जलयान को जो केवल विनिर्दिष्ट पत्तनों या स्थानों के बीच संचालित होता हो, प्रदान की गई हो;

(ख)मध्यवर्ती समीक्षा के अधीन, पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रभावी न हो;

(ग)ऐसे जलयानों को प्रदान की गई हो जो उक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट पत्तनों या स्थानों के अतिरिक्त कहीं और बैलास्ट जल या तलछट का मिश्रण नहीं करते हों; और

(घ)संगठन द्वारा विकसित जोखिम मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदान की गई हो।

(2)उपनियम (1) के अधीन प्रदान की गई कोई भी छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उस बारे में संगठन को संसूचित न कर दिया जाए और उससे संबंधित सूचना पक्षकारों में परिचालित न कर दी जाए।

(3)इस नियम के अधीन प्रदान की गई कोई भी छूट किसी समीपवर्ती राज्य के पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति अथवा संसाधनों को क्षति या हानि नहीं पहुंचाएगी, और महानिदेशक किसी ऐसे अन्य राज्य से, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, परामर्श कर सकेगा जिससे परिलक्षित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

(4)इस नियम के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक छूट का अभिलेखन बैलास्ट जल अभिलेख पुस्तिका में किया जाएगा।

7. समतुल्य अनुपालन.-केवल मनोरंजनया प्रतियोगिता के लिए प्रयुक्त नौकाएं अथवा मुख्यतः खोज और बचावकार्यों में प्रयुक्त जलयान, जिनकी कुल लंबाई पचास मीटर से कम हो तथा जिनकी अधिकतम बैलास्ट जल क्षमता आठ घन मीटर हो, महानिदेशक द्वारा संगठन के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किए जाने पर, इन नियमों का अनुपालन करेंगे।

8. जलयानों के बैलास्ट जल और तलछट के माध्यम से हानिकारक जलीय जीवों तथा रोगजनकों के अंतरण का नियंत्रण.- प्रत्येक जलयान बैलास्ट जल और तलछट के नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में पहली अनुसूची में दिए गए मानकों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

9. तलछट रिसेप्सन सुविधाएं.- (1)भारत के प्रत्येक पत्तनऔर टर्मिनल, जहां बैलास्ट टैंकों की सफाई अथवा मरम्मत की जाती है, यह सुनिश्चित करेंगे कि तलछटों के रिसेप्सन हेतु पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध हों। ऐसी सुविधाएं संगठनद्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाएंगी। ये सुविधाएं जलयानों के संचालन में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न किए

बिना कार्य करेंगी और ऐसे तलछटों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करेंगी जिससे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति अथवा संसाधनों को, चाहे वे भारत के हों या अन्य राज्यों के, कोई क्षति अथवा प्रतिकूल प्रभाव न पहुंचे।

(2)महानिदेशक उन सभी मामलों की सूचना संगठन को देगा, जिनमें उपनियम (1) के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के अपर्याप्त होने का आरोप लगाया गया हो, जिससे संगठन संबंधित संविदाकार सरकारोंको इसकी सूचना प्रेषित कर सके।

10. सर्वेक्षण.-(1) इन नियमों के अधीन आने वाले 400 सकल टन भार या उससे अधिक क्षमता वाले भारतीय जलयानों, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट और फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज तथा ऑफलोडिंग इकाइयों को छोड़कर, का सर्वेक्षण अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन से संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्—

(क)एक प्रारंभिक सर्वेक्षण जलयान को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा नियम 11 या नियम 12 के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व किया जाएगा। यह सर्वेक्षण सत्यापित करेगा कि पहली अनुसूची के पैरा 1 के अधीन अपेक्षित बैलास्ट जल प्रबंधन योजना और उससे संबंधित संरचना, उपकरण, प्रणालियां, फिटिंग, व्यवस्थाएं, सामग्री अथवा प्रक्रियाएं इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करती हैं। यह सर्वेक्षण यह भी पुष्टि करेगा कि किसी बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणालीकी स्थापना के सत्यापन हेतु एक कमीशनिंग परीक्षण किया गया है, जिससे यह पुष्ट हो कि उसकी यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुरूप समुचित रूप से कार्य कर रही हैं।

(ख)एक नवीकरण सर्वेक्षण, पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाएगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां नियम 14 के उपनियम (2), उपनियम(5), उपनियम(6) या उपनियम(7) लागू होते हों। यह सर्वेक्षण सत्यापित करेगा कि पहली अनुसूची के पैरा 1 में अपेक्षित बैलास्ट जल प्रबंधन योजना और उससे संबंधित संरचना, उपकरण, प्रणालियां, फिटिंग, व्यवस्थाएं, सामग्री अथवा प्रक्रियाएं इन नियमों की लागू अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करती हैं।

(ग)एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की दूसरी आब्दिकी दिनांक अथवा तीसरी आब्दिकी दिनांक से तीन माह पूर्व या तीन माह पश्चात् किया जाएगा। यह सर्वेक्षण वार्षिक सर्वेक्षणों में से एक का स्थान लेगा, जैसा कि खंड (घ) में विनिर्दिष्ट है और यह सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि बैलास्ट जल प्रबंधन हेतु उपकरण, संबंधित प्रणालियांऔर प्रक्रियाएं इन नियमों की लागू आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन करती हैं और सुचारु कार्यशील स्थिति में हैं। इसका पृष्ठांकननियम 11 अथवा नियम 12 के अधीन जारी प्रमाणपत्र पर किया जाएगा।

(घ) एकवार्षिक सर्वेक्षण प्रत्येक आब्दिकी दिनांक से तीन माह पूर्व अथवा तीन माह पश्चात् किया जाएगा। इसमें संरचना, उपकरणों, प्रणालियों, फिटिंग, व्यवस्थाओं, सामग्री अथवा पहली अनुसूची के पैरा 1 के अधीन अपेक्षित बैलास्ट जल प्रबंधन योजना से संबंधित प्रक्रियाओं का सामान्य निरीक्षण सम्मिलित होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका अनुरक्षण उपनियम (13) के अनुसार किया गया है और वे उस सेवा हेतु संतोषजनक स्थिति में हैं जिसके लिए जलयान अभिप्रेत है। ऐसे वार्षिक सर्वेक्षणों का पृष्ठांकन नियम 11 या नियम 12 के अधीन जारी प्रमाणपत्र पर किया जाएगा।

(ङ)एक अतिरिक्त सर्वेक्षण इन नियमों के पूर्ण अनुपालन हेतु आवश्यक संरचना, उपकरण, प्रणालियों, फिटिंग, व्यवस्थाओं और सामग्री में किसी परिवर्तन, प्रतिस्थापन अथवा महत्वपूर्ण मरम्मत के पश्चात्, सामान्य अथवा आंशिक रूप से किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा परिवर्तन, प्रतिस्थापन अथवा महत्वपूर्ण मरम्मत प्रभावी रूप से की गई है और जलयान इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(च)जब खंड (ङ) के अधीन अतिरिक्त सर्वेक्षण किसी बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के कारण किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा परिवर्तन, प्रतिस्थापन अथवा महत्वपूर्ण मरम्मत प्रभावी रूप से की गई है जिससे जलयान इन नियमों का अनुपालन कर सके।

(छ)जब खंड (ङ) के अधिन अतिरिक्त सर्वेक्षण किसी बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जाता है, तो यह पुष्टि करेगा कि प्रणाली की स्थापना के सत्यापन हेतु एक कमीशनिंग परीक्षण किया गया है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि उसकी यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से कार्य कर रही हैं।

स्पष्टीकरण –इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देश"सेबैलास्ट जल प्रबंधन प्रणालियों के कमीशनिंग परीक्षण हेतु 2020 के दिशानिर्देश (बीडब्ल्युएम.2/परिपत्र.70/आरईवी.1) अभिप्रेत है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं।

(2) इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन से जलयानों का सर्वेक्षण अधिनियम के अधीन नियुक्त सर्वेक्षकों अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

(3) सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत होंगे—

(क) जिस जलयान का वे सर्वेक्षण करें, उससे इन नियमों अथवा अभिसमयके उपबंधों का अनुपालन कराने की अपेक्षा करना; और

(ख) यदि किसी ऐसे पत्तन राज्यके सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किया जाए जो अभिसमय का पक्षकार है, तो सर्वेक्षण और निरीक्षण करना।

(4) महानिदेशक, उपनियम (3) के अधीन सर्वेक्षकों को प्रत्यायोजित प्राधिकार की विशिष्ट जिम्मेदारियों तथा शर्तों की सूचना, यदि कोई हो, संगठन को देगा, ताकि उसे पक्षकारों के अधिकारियों की जानकारी हेतु परिचालित किया जा सके।

(5) जब सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति यह अवधारित करता है कि जलयान का बैलास्ट जल प्रबंधन नियम 11 या नियम 12 के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र में उल्लिखित विवरणों के अनुरूप नहीं है अथवा ऐसी स्थिति में है कि वह पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों को हानि पहुंचाने के जोखिम के बिना समुद्र में जाने के योग्य नहीं है, तब ऐसा सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति तत्काल यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान को नियमों के अनुरूप लाने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। यदि भारतीय जलयान किसी अन्य राज्य के पत्तन में है, तो संबंधित पत्तन राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(6)जहां भारतीय जलयान के अतिरिक्त कोई अन्य जलयान किसी भारतीय पत्तन में स्थित हो और ऐसे जलयान के संबंध में अभिसमयके विनियम ई-1.6 के अधीन अधिसूचना प्रशासन के किसी अधिकारी, नामनिर्दिष्ट सर्वेक्षक अथवा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा महानिदेशक को दी जाती है तो वहां महानिदेशक ऐसे अधिकारी, सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन को इन नियमों के अधीन उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(7)यदि उपनियम (5) में उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा महानिदेशक को तत्काल लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और, यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र अथवा भारतीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा प्रमाणपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, तो महानिदेशक के आदेश द्वारा उसे वापस ले लिया जाएगा और यदि जलयान किसी अन्य पक्षकार के पत्तन में है, तो संबंधित पत्तन राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(8)उपनियम (5) के अधीन सुझाए गए सुधारात्मक उपायों के अनुपालन के उपरांत, उपनियम (1) के खंड (ङ), खंड(च) और खंड(छ) के अनुसार एक अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा।

(9)जब भी किसी जलयान में दुर्घटना घटित होती है अथवा ऐसा दोष पाया जाता है जो इन नियमों के अनुसार बैलास्ट जल प्रबंधन करने की जलयान की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तब जलयान का स्वामी, प्रचालक अथवा अन्य प्रभारी व्यक्ति यथाशीघ्र महानिदेशक को इसकी सूचना देगा। महानिदेशक यह अवधारित करने हेतु जांच प्रारंभ करवाएगा कि क्या उपनियम (1) की अपेक्षानुसार सर्वेक्षण आवश्यक है।

(10)उपनियम (9) में वर्णित स्थिति में, यदि भारतीय जलयान किसी अन्य राज्य के पत्तन में है, तो उसका स्वामी, प्रचालक अथवा अन्य प्रभारी व्यक्ति संबंधित पत्तन राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों और महानिदेशक दोनों को तत्काल सूचना देगा।

(11)प्रत्येक मामले में महानिदेशक सर्वेक्षण की पूर्णता और प्रभावशीलता की पूरी गारंटी देगा तथा इस दायित्व की पूर्ति हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

(12)जलयान तथा उसके उपकरणों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थिति ऐसी बनाए रखी जाएगी कि वे इन नियमों और अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप रहें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जलयान प्रत्येक दृष्टि से समुद्र में जाने के योग्य बना रहे और पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति अथवा संसाधनों को हानि का कोई जोखिम उत्पन्न न करे।

(13)उपनियम (1) के अधीन जलयान का कोई सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात, पहली अनुसूची के पैरा 1 के अधीन अपेक्षित बैलास्ट जल प्रबंधन योजना से संबंधित और सर्वेक्षण के अधीन आने वाली संरचना, उपकरण, फिटिंग, व्यवस्था या सामग्री में प्रशासन की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा; तथापि, ऐसे उपकरण या फिटिंग के प्रत्यक्ष प्रतिस्थापनकी अनुमति होगी।

(14)महानिदेशक उन जलयानों के लिए, जो उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन नहीं आते हैं, उपयुक्त उपाय विनिर्दिष्ट करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

11. अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र अथवा भारतीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र का निर्गमन या पृष्ठांकन.- (1)नियम 10 के अनुसार सर्वेक्षण के सफलता पूर्वक पूरा होने के पश्चात, महानिदेशक अथवा मान्यता प्राप्त संगठन निम्नलिखित प्रमाणपत्र जारी करेगा या पृष्ठांकन करेगा—

(क)अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्रउन भारतीय जलयानों को, जो नियम 10 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट हैं, 400 सकल टन भारया उससे अधिक के हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में संलग्न हैं;

(ख)भारतीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र उन जलयानों को, जो नियम 10 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट हैं, प्रत्येक प्रकार के भारतीय जलयान हेतु लागू उपयुक्त शर्तों सहित400 सकल टन भार या उससे अधिक के हैं, भारतीय जलयान हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में संलग्न नहीं हैं;

(ग)भारतीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र उस भारतीय ध्वज धारण करने के हकदार ऐसे भारतीय जलयान को, प्रत्येक प्रकार के जलयान हेतु लागू उपयुक्त शर्तों सहित जिसका सकल टन भार 400 से कम है और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में संलग्न नहीं है;

(2)इस नियम के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा और प्रमाणपत्र के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक का होगा।

12. किसी अन्य प्रशासन के लिए अथवा उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र का निर्गमन या पृष्ठांकन.- (1)किसी विदेशी जलयान के प्रशासन के अनुरोध पर महानिदेशक उस जलयान का सर्वेक्षण करवा सकता है और यदि वह संतुष्ट हो, तो उस जलयान को अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी करेगा अथवा उसके निर्गमन को प्राधिकृत

करेगा तथा, जहां उपयुक्त हो, अभिसमय के अनुसार उस जलयान के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन भी करेगा अथवा उसे प्राधिकृत करेगा।

(2)उपनियम (1) का अनुपालन होने पर, प्रमाणपत्र की एक प्रति और सर्वेक्षण रिपोर्टकी एक प्रति यथाशीघ्र संबंधित प्रशासन को प्रेषित की जाएगी।

(3)इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख किया जाएगा कि इसे संबंधित प्रशासन के अनुरोध पर जारी किया गया है।

(4)जहां किसी भारतीय जलयान का सर्वेक्षण ऐसे प्रशासन के अधिकार-क्षेत्र में किया जाना हो, वहां महानिदेशक उस प्रशासन से अनुरोध कर सकता है कि वह अभिसमय के उपबंधों के अनुसार सर्वेक्षण संपन्न करे और, यदि वह प्रशासन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हो, तो अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाण-पत्र जारी करे।

(5)ऐसे किसी जलयान को कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो ऐसे राज्य का ध्वज फहराने का हकदारहै जो पक्षकार नहीं है।

13. प्रमाण-पत्र का प्ररूप.-प्रमाण-पत्र दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूपमें जारी किया जाएगा।

14. प्रमाण-पत्र की अवधि और विधिमान्यता.-(1) अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाण-पत्र अथवा भारतीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाण-पत्र महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा।

(2)नवीकरण सर्वेक्षणोंके प्रयोजनों के लिए—

(क)उपनियम (1) की अपेक्षाओं के अधीन, यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की दिनांक से पूर्व तीन माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाता है, तो नया प्रमाण-पत्र नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की दिनांक से प्रभावी होगा और उसकी विधिमान्यता की अवधि विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की दिनांक से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख)यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की दिनांक के पश्चात पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाण-पत्र सर्वेक्षण के पूरा होने की दिनांक से प्रभावी होगा और उसकी विधिमान्यता की अवधि विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की दिनांक से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग)यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की दिनांक से तीन माह से अधिक पहले पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाण-पत्र सर्वेक्षण के पूरा होने की दिनांक से प्रभावी होगा और उसकी विधिमान्यता की अवधि सर्वेक्षण के पूरा होने की दिनांक से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि पांच वर्ष से कम अवधि के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठन, प्रमाण पत्र की वैधता को समाप्ति तिथि से आगे अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा :

परंतु नियम 10 के उपनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण तब लागू होंगे जब एक प्रमाण पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

(4) यदि नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से पहले नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता है या पोत पर नहीं रखा जा सकता है, तो महानिदेशक द्वारा अधिकृत सर्वेक्षक विद्यमान प्रमाणपत्र का समर्थन कर सकता है और ऐसे प्रमाणपत्र को पांच महीने से अधिक की अवधि के लिए, जो समाप्ति तिथि से पांच महीने से अधिक नहीं होगी, वैध के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(5) यदि उस समय जब प्रमाणपत्र की समाप्ति हो जाती है, कोई पोत किसी ऐसे बंदरगाह में नहीं है जिसमें उसका सर्वेक्षण किया जाना है या ऐसे अन्य मामलों में जैसा वह उचित और उचित समझता है, महानिदेशक प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि बढ़ा सकता है:

परंतु ऐसा विस्तार केवल उस बंदरगाह तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के प्रयोजन से दिया जाएगा जिसमें सर्वेक्षण किया जाना है और ऐसा प्रमाण पत्र तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि जिस पोत को विस्तार दिया गया है, वह उस बंदरगाह में आने पर, जिसका सर्वेक्षण किया जाना है, नए प्रमाण पत्र के बिना उस बंदरगाह को छोड़ने का हकदार नहीं होगा और नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जारी किया गया ऐसा नया प्रमाण पत्र विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(6) लघु यात्राओं पर लगे पोत को जारी किया गया प्रमाण पत्र, महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा, समाप्ति की तारीख से एक महीने तक की अवधि के लिए बढ़ाए जा सकेंगे और जब नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाण पत्र, विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा।

(7) विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है, एक नया प्रमाण पत्र उपनियम (2), (5) और (6) के खंड (ख) द्वारा अपेक्षित विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से दिनांकित नहीं किया जाएगा और इन विशेष परिस्थितियों में, नया प्रमाण पत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होने वाली तारीख तक वैध होगा।

(8) यदि नियम 10 में निर्दिष्ट अवधि से पहले वार्षिक या मध्यवर्ती सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, तो-

(क) प्रमाणपत्र पर दिखाई गई वर्षगांठ की तारीख को पृष्ठांकन द्वारा एक तारीख में संशोधित किया जाएगा जो उस तारीख से तीन महीने से अधिक बाद की नहीं होगी जिस पर सर्वेक्षण पूरा किया गया था;

(ख) नियम 10 द्वारा अपेक्षित पश्चातवर्ती वार्षिक या मध्यवर्ती सर्वेक्षण उस नियम द्वारा निर्दिष्ट अंतराल पर नई वर्षगांठ तिथि का उपयोग करके पूरा किया जाएगा;

(ग) समाप्ति की तारीख अपरिवर्तित रह सकती है परंतु एक या अधिक वार्षिक या मध्यवर्ती सर्वेक्षण, जैसा उचित हो, किए जाएं ताकि नियम 10 द्वारा निर्दिष्ट सर्वेक्षणों के बीच अधिकतम अंतराल से अधिक न हो।

(9) नियम 11 और 12 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी मामले में मान्य होना बंद हो जाएगा, अर्थात्:

(क) किसी अन्य राज्य के ध्वज पर पोत के हस्तांतरण पर, -

(i) यदि प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है जिसके लिए भारतीय पोत को हस्तांतरण की तारीख से तीन महीने के भीतर स्थानांतरित किया गया था, महानिदेशक यथाशीघ्र उस प्रशासन को हस्तांतरण से पहले पोत द्वारा ले जाए गए प्रमाणपत्रों की एक प्रति और, यदि उपलब्ध हो, तो प्रासंगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित कर सकेगा ;

(ii) किसी अन्य राज्य से किसी पोत के हस्तांतरण के मामले में, एक नया प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब महानिदेशक पूरी तरह से संतुष्ट हो कि पोत नियम 10 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है;

(ख) यदि प्रासंगिक सर्वेक्षण नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है; या

(ग) यदि प्रमाण पत्र नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार पृष्ठांकित नहीं है।

15. पोतों का निरीक्षण- (1) एक पोत, जिसके लिए ये नियम लागू होते हैं, केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी बंदरगाह या अपतटीय टर्मिनल में, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि पोत इन नियमों का अनुपालन करता है या नहींसर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के अधीन हो सकेगा ।

(2) उपनियम (3) में निहित प्रावधानों के अधीन, उपनियम (1) के अधीन कोई भी निरीक्षण निम्नलिखित तक सीमित होगा

(क) यह सत्यापित करना कि एक वैध प्रमाणपत्र ऑनबोर्ड है, जो वैध होने पर स्वीकार किया जाएगा;

(ख) गिट्टी जल अभिलेख बही का निरीक्षण;

(ग) पोत के गिट्टी के पानी का नमूना, संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया:

परंतु नमूनों का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित समय का उपयोग पोत के संचालन, आवाजाही या प्रस्थान में अनुचित देरी के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(3) एक विस्तृत निरीक्षण किया जा सकेगा, जहां एक पोत वैध प्रमाण पत्र नहीं रखता है या विश्वास करने के स्पष्ट आधार हैं कि-

(क) पोत या उसके उपकरण की स्थिति प्रमाण पत्र के विवरण के अनुरूप नहीं है; या

(ख) मास्टर या क्रू के पास गिट्टी जल प्रबंधन से संबंधित आवश्यक पोत बोर्ड प्रक्रियाओं से परिचित नहीं है, या ऐसी प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया है।

(4) उपनियम (3) में दी गई परिस्थितियों में, सर्वेक्षणकर्ता या निरीक्षण करने वाला एक प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पोत गिट्टी का पानी तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वह पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का खतरा प्रस्तुत किए बिना ऐसा नहीं कर सकता है।

16. उल्लंघन का पता लगाना और पोतों का नियंत्रण - (1) महानिदेशक उल्लंघन का पता लगाने और कन्वेंशन या इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने में सहयोग करेगा।

(2) यदि नियम 15 के उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट नमूनांकन के परिणामस्वरूप, या किसी अन्य बंदरगाह या अपतटीय टर्मिनल से प्राप्त जानकारी का समर्थन करता है, जो यह संकेत देता है कि पोत पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों के लिए खतरा पैदा करता है, महानिदेशक ऐसे पोत को गिट्टी का पानी छोड़ने से तब तक रोक देगा जब तक कि खतरा दूर नहीं हो जाता।

(3) सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति भी किसी पोत के भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बंदरगाहों या अपतटीय टर्मिनलों में प्रवेश करने पर उसका निरीक्षण कर सकेगा, यदि किसी पक्ष या उसके प्रशासन से जांच के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, साथ ही पर्याप्त सबूत भी हों कि पोत कन्वेंशन या इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है या उसने ऐसा किया है और ऐसी जांच की रिपोर्ट अनुरोध करने वाले पक्ष को और उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित पोत के प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

17. फीस - (1) इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए लगाए जाने वाली फीस अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन से संबंधित नियमों में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

(2) रिसेप्शन सुविधाओं की संपरीक्षा या निरीक्षण और पोर्ट अपशिष्ट प्रबंधन योजना की जांच, अनुमोदन और समय-समय पर समीक्षा के लिए बंदरगाहों और टर्मिनलों द्वारा महानिदेशक को देय फीस चालीस हजार रुपये से कम नहीं होगी ।

18. शास्ति और प्रवर्तन। - (1) इन नियमों का कोई भी उल्लंघन या उनकी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफलता अधिनियम में निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी पोत का संचालन करता है, और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उप-धारा (2) के अधीन कोई विशिष्ट दंड प्रदान नहीं किया गया है, वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना जो पहले दिन के पश्चात्, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, प्रत्येक दिनके लिए पांच हजार रुपये तक हो सकेगा ।

(3) इस नियम के अधीन किसी भी शास्ति के अधिरोपण से स्वामी या मास्टर को गैर-अनुपालन को सुधारने की अपेक्षा से मुक्त नहीं किया जाएगा।

पहली अनुसूची

[नियम 4, 5, 6, 8 और 10 देखें]

पोतों के बैलास्ट पानी और तलछट के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए विनियम

भाग – 1

पोतों के लिए प्रबंधन और नियंत्रण अपेक्षाएं

1. गिट्टी जल प्रबंधन योजना- (1) प्रत्येक पोत पर संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक द्वारा अनुमोदित गिट्टी जल प्रबंधन योजना होगी ।

(2) गिट्टी जल प्रबंधन योजना प्रत्येक पोत के लिए विशिष्ट होगी और इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) इन नियमों के अनुसार गिट्टी जल प्रबंधन से जुड़े पोत और चालक दल के लिए विस्तृत सुरक्षा प्रक्रियाएं;

(ख) इन नियमों में निर्धारित गिट्टी जल प्रबंधन आवश्यकताओं और पूरक गिट्टी जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण;

(ग) समुद्र में और किनारे पर तलछट के निपटान के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं;

(घ) पोत के गिट्टी जल प्रबंधन के समन्वय के लिए प्रक्रियाएं जिसमें समुद्र में निर्वहन शामिल है, उन प्रशासनों के साथ जिनके जल में ऐसा निर्वहन होगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी नामित अधिकारी कि योजना को ठीक से लागू किया गया है; और

(च) इन नियमों और कन्वेंशन के अधीन प्रदान किए गए पोतों के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की प्रक्रिया।

2. गिट्टी पानी अभिलेख बही - (1) प्रत्येक पोत एक गिट्टी जल अभिलेख बही या एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रणाली को बनाए रखेगा, जो संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, दूसरी अनुसूची के प्ररूप –3 में निर्दिष्ट जानकारी को शामिल करते हुए, एक अन्य अभिलेख बही या प्रणाली में एकीकृत किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों का अर्थ है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ शिप बॉलस्ट वाटर एंड सेडिमेंट्स, 2004 (समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति 372(80)) का संकल्प)के अधीन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बहियोंके लिए दिशानिर्देश जैसा कि संशोधित किया जा सकता है।

(2) गिट्टी जल अभिलेख बही प्रविष्टियों को अंतिम प्रविष्टि किए जाने के बाद कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पोत पर और उसके बाद कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के नियंत्रण में रखा जाएगा।

(3) नियम 5 और 6 या पैरा 3 के उपपैरा (6) के अनुसार गिट्टी के पानी के निर्वहन की स्थिति में या गिट्टी के पानी के अन्य आकस्मिक या असाधारण निर्वहन की स्थिति में अन्यथा इन नियमों द्वारा छूट नहीं दी गई है, गिट्टी के पानी की अभिलेख बही में निर्वहन की परिस्थितियों और कारण का वर्णन करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी।

(4) गिट्टी जल अभिलेख बही को सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा और, टो के अधीन एक मानव रहित पोत के मामले में, इसे टोइंग पोत पर रखा जा सकेगा।

(5) गिट्टी जल से संबंधित प्रत्येक ऑपरेशन को बिना किसी देरी के गिट्टी जल अभिलेख बही में पूरी तरह से दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक प्रविष्टि पर संबंधित ऑपरेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और प्रत्येक पूर्ण पृष्ठ पर मास्टर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(6) गिट्टी जल अभिलेख बही में प्रविष्टियाँ पोत की कार्यशील भाषा में होंगी और यदि वह भाषा अंग्रेजी नहीं है तो प्रविष्टियों में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद शामिल होगा और जब प्रशासन की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा में प्रविष्टियाँ भी उपयोग की जाती हैं, जिसका झंडा पोत को उड़ाने का हक है, तो विवाद या विसंगति की स्थिति में वे अधिमान होंगे।

(7) सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे उचित समय पर, किसी भी पोत पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसके भारित जल अभिलेख बही का निरीक्षण करने के प्रयोजन से पोत के बंदरगाह या अपतटीय टर्मिनल में पोत पर सवार हो सकेगा।

(8) सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति, गिट्टी पानी अभिलेख बही की किसी भी प्रविष्टि की एक प्रति बना सकेगा और मास्टर से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा हो सकेगी कि प्रति एक सच्ची प्रति है।

(9) ऐसी कोई भी प्रमाणित प्रति प्रविष्टि में बताए गए तथ्यों के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायिक कार्यवाही में स्वीकार्य होगी।

3. पोतों के लिए गिट्टी जल प्रबंधन - (1) वर्ष 2009 से पहले निर्मित पोत,

(क) 1,500 और 5,000 घन मीटर के बीच गिट्टी जल क्षमता के साथ, समावेशी; या

(ख) 1,500 घन मीटर से कम या 5,000 घन मीटर से अधिक के गिट्टी जल क्षमता के साथ

गिट्टी जल प्रबंधन का संचालन करेगा जो उपपैरा (10) में विनिर्दिष्ट नवीकरण सर्वेक्षण के बाद पैरा 9 या 10 में निर्दिष्ट मानक को पूरा करता है, जिसके बाद यह पैरा 10 में निर्दिष्ट मानक को पूरा करेगा।

(2) वर्ष 2009 में या उसके बाद और 8 सितंबर, 2017 से पहले निर्मित एक पोत जिसकी गिट्टी जल क्षमता 5,000 घन मीटर से कम है, गिट्टी जल प्रबंधन का संचालन करेगा जो उपपैरा (10) में निर्दिष्ट नवीकरण सर्वेक्षण की तारीख से पैरा 10 में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है।

(3) वर्ष 2009 में या उसके बाद निर्मित एक पोत, लेकिन 2012 से पहले, 5,000 घन मीटर या उससे अधिक की गिट्टी जल क्षमता के साथ उपपैरा (2) के अनुसार गिट्टी जल प्रबंधन का संचालन करेगा।

(4) 2012 में या उसके बाद निर्मित एक पोत जिसकी गिट्टी जल क्षमता 5000 घन मीटर या उससे अधिक है, गिट्टी जल प्रबंधन का संचालन करेगा जो उपपैरा (10) में निर्दिष्ट नवीकरण सर्वेक्षण की तारीख से पैरा 10 में निर्दिष्ट मानक को पूरा करता है।

(5) 8 सितंबर, 2017 को या उसके बाद निर्मित एक पोत गिट्टी जल प्रबंधन का संचालन करेगा जो पैरा 10 में निर्दिष्ट मानक को पूरा करता है।

(6) इस पैरा की अपेक्षाएं उन पोतों पर लागू नहीं होती हैं जो ऐसी सुविधाओं के लिए संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रिसेप्शन सुविधा में गिट्टी का पानी छोड़ते हैं।

(7) गिट्टी जल प्रबंधन के अन्य तरीकों को उपपैरा (1) से (5) और (8) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के विकल्प के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है:

परंतु ऐसी पद्धतियां पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संपत्ति या संसाधनों को कम से कम समान स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, और समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित हैं।

(8) एक पोत, जिसका निर्माण 8 सितंबर, 2017 से पहले किया गया है, जिस पर उपपैरा (10) में निर्दिष्ट नवीकरण सर्वेक्षण लागू नहीं होता है, वह गिट्टी जल प्रबंधन का संचालन करेगा जो महानिदेशक द्वारा तय की गई तारीख से पैरा 10 में निर्दिष्ट मानक को पूरा करता है, लेकिन 8 सितंबर, 2024के पश्चात् नहीं।

(9) उप-पैराग्राफ (2), (4) या (8) के अधीन एक पोत को पैरा 9 या 10 का पालन करने की अपेक्षा होगी, जब तक कि उसे पैरा 10 का पालन करने की अपेक्षा नहीं है।

(10) नियम 10 के उपनियम (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन, इस पैरा के उपपैरा (1), उप पैरा (2) और उपपैरा (4) के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित नवीकरण सर्वेक्षण समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति 298(72) के संकल्प के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार किया जाएगा।

4. गिट्टी जल विनिमय (1) पैरा 9 में मानक को पूरा करने के लिए गिट्टी जल विनिमय करने वाला एक पोत --

(क) निकटतम भूमि से कम से कम 200 समुद्री मील की दूरी पर और पानी में कम से कम 200 मीटर की गहराई पर ऐसे गिट्टी जल विनिमय का संचालन करेगा, जिसमें संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाए;

(ख) ऐसे मामलों में जहां पोत खंड (क) के अनुसार गिट्टी जल विनिमय करने में असमर्थ है, ऐसे गिट्टी जल विनिमय में उसमें निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा और जहां तक संभव हो निकटतम भूमि से दूर, और सभी मामलों में निकटतम भूमि से कम से कम 50 समुद्री मील और पानी में कम से कम 200 मीटर की गहराई पर किया जाएगा।

(2) समुद्री क्षेत्रों में जहां निकटतम भूमि से दूरी या गहराई उप पैरा (1) के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करती है, महानिदेशक, अन्य देशों के परामर्श से, उचित रूप से, ऐसे क्षेत्रों को नामित कर सकेगा जहां एक पोत उप पैरा (1) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए गिट्टी जल विनिमय कर सकता है।

(3) उप-पैराग्राफ (1) की किसी विशेष अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए किसी पोत को अपनी इच्छित यात्रा से विचलित होने या यात्रा में देरी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) गिट्टी जल विनिमय करने वाले पोत को उपपैरा (1) या (2) का पालन करने की अपेक्षा नहीं होगी, यदि मास्टर उचित रूप से यह निर्णय लेता है कि प्रतिकूल मौसम, पोत डिजाइन या तनाव, उपकरण विफलता, या किसी अन्य असाधारण स्थिति के कारण पोत, उसके चालक दल या उसके यात्रियों की सुरक्षा या स्थिरता को खतरा होगा।

(5) जब किसी पोत को गिट्टी जल विनिमय करने की अपेक्षा होती है और वह इस पैरा के अनुसार ऐसा नहीं करता है, तो कारण गिट्टी जल अभिलेख बही में दर्ज किए जाएंगे।

(6) योजना से किसी भी विचलन की स्थिति में, डिस्चार्ज के बिंदु के निर्देशांक, डिस्चार्ज की मात्रा, पानी की गहराई, हवा की दिशा और वेग के साथ गिट्टी के पानी का निर्वहन गिट्टी के पानी की अभिलेख बही में नोट किया जाना चाहिए।

(7) कोई भी गिट्टी जल विनिमय या निर्वहन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आदि जैसे किसी भी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के प्रत्यक्ष आसपास नहीं किया जाएगा।

5. पोतों के लिए तलछट प्रबंधन - (1) सभी पोतों को पोतों की गिट्टी जल प्रबंधन योजना के प्रावधानों के अनुसार गिट्टी जल ले जाने के लिए नामित स्थानों से तलछट को हटाना और उसका निपटान करना होगा।

(2) पैरा 3 के उप पैरा (3) से (5) में निर्दिष्ट पोतों को, सुरक्षा या परिचालन दक्षता से समझौता किए बिना, तलछट के अवशोषण और अवांछनीय फँसने को कम करने, तलछट को हटाने की सुविधा प्रदान करने और तलछट को हटाने और नमूने लेने की अनुमति देने के लिए सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और निर्माण किया जाएगा, जिसमें संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) पैरा 3 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट पोत, जहां तक संभव हो, इस पैरा का पालन कर सकेंगे ।

6. अधिकारियों और चालक दल के कर्तव्य.- अधिकारी और चालक दल उस पोत के लिए विशेष रूप से गिट्टी जल प्रबंधन के कार्यान्वयन में अपने कर्तव्यों से परिचित होंगे, जिस पर वे सेवा करते हैं और अपने कर्तव्यों के लिए उपयुक्त, पोत की गिट्टी जल प्रबंधन योजना से परिचित होंगे।

भाग - 2

कुछ क्षेत्रों में विशेष अपेक्षाएं

7. अतिरिक्त उपाय- (1) महानिदेशक, व्यक्तिगत रूप से या अन्य प्रशासनों के साथ संयुक्त रूप से जो कन्वेंशन के पक्ष हैं, यदि यह निर्धारित करता है कि इस अनुसूची के भाग-1 में दिए गए उपायों के अलावा पोतों के गिट्टी जल और तलछट के माध्यम से हानिकारक जलीय जीवों और रोगजनकों के हस्तांतरण को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अतिरिक्त मानकों या अपेक्षाओं को निर्दिष्ट कर सकेंगे ।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के अधीन मानकों या अपेक्षाओंकी स्थापना से पहले, महानिदेशक आस-पास के या अन्य प्रशासन से परामर्श करेगा, जो ऐसे मानकों या अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकते हैं और उपपैरा (3) और (4) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) महानिदेशक, उपपैरा (1) के अनुसार अतिरिक्त उपायों को लागू करते समय-

(क) संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रख सकेगा ;

(ख) आपातकालीन या महामारी की स्थितियों को छोड़कर, उपायों के कार्यान्वयन की अनुमानित तिथि से पहले छह महीने के भीतर संगठन को अतिरिक्त उपाय स्थापित करने के इरादे को सूचित कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा-

(i) सटीक निर्देशांक जहां अतिरिक्त उपाय लागू होते हैं;

(ii) अतिरिक्त उपायों के आवेदन की आवश्यकता और तर्क, जिसमें, जब भी संभव हो, लाभ शामिल हैं;

(iii) अतिरिक्त उपायों का विवरण; और

(iv) कोई भी व्यवस्था जो अतिरिक्त उपायों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जा सकेगी;

(ग) समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में परिलक्षित प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधियों की अपेक्षा के अनुसार, उचित रूप से, संगठन की मंजूरी प्राप्त करें।

(2) महानिदेशक, ऐसे अतिरिक्त उपायों को लागू करते समय, पोतों पर बोझ को कम करने के लिए सभी उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, जिसमें क्षेत्र के नाविकों को अधिसूचना, वैकल्पिक मार्ग या बंदरगाह शामिल हो सकते हैं, जहां तक संभव हो।

(3) महानिदेशक द्वारा अपनाए गए अतिरिक्त उपाय, जलयान की सुरक्षा और संरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और किसी भी परिस्थिति में, किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के विरोध में नहीं होंगे ।

(4) महानिदेशक, किसी समय की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, उपपैरा (1) के अधीन उठाए गए अतिरिक्त उपायों से अस्थायी रूप से छूट दे सकेगा ।

8. कतिपयक्षेत्रों में गिट्टी जल लेने और संबद्ध ध्वज राज्य उपायों से संबंधित चेतावनियां– (1) महानिदेशक, अपनी अधिकारिता के अधीनक्षेत्रों के नाविकों को सूचित करेंगे, जहां ज्ञात स्थितियों के कारण जलयानगिट्टी जल नहीं ले सकते हैं, और निम्नलिखितक्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की जा सकेंगी,--

(क) जहां हानिकारक जलीय जीवों और रोगजनकों (जैसे, ज़हरीले शैवाल ब्लूम) का प्रकोप, संक्रमण या आबादी होने की जानकारी हो, जो गिट्टी जल लेने या छोड़ने से संबंधित हो सकते हैं;

(ख) गंदे जल के निकास के पास; या

(ग) जहां ज्वारीय बहाव कमज़ोर हो या समय, जिसके दौरान ज्वारीय धारा के अधिक मैला होने की जानकारी हो।

(2) महानिदेशक, उप पैरा (1) में पहचाने गए किसी क्षेत्र और उस समय-अवधि, जिसके लिए ऐसीचेतावनी प्रभावी रहनी संभाव्य है, के बारे में संगठन और संभावित रूप से प्रभावित तटीय राज्यों को सूचित करेंगे ।

(3) उपपैरा (2) के अधीन संगठन और संभावित रूप से प्रभावित तटीय राज्यों को दी जाने वाली सूचना में, उस क्षेत्र या क्षेत्रों के सटीक निर्देशांक और जहां संभव हो, गिट्टी जल लेने के लिए किसी वैकल्पिक क्षेत्र या क्षेत्रों की अवस्थिति सम्मिलित होगी।

(4) उप पैरा (3) के अधीन सूचना में, उन जलयानों के लिए सलाह सम्मिलित होगी, जिन्हें उस क्षेत्र में गिट्टी जल लेने की आवश्यकता है, जिसमें वैकल्पिक आपूर्ति के लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण होगा।

(5) महानिदेशक, जब दी गई कोई चेतावनी लागू नहीं है, तब नाविकों, संगठन और संभावित रूप से प्रभावित तटीय राज्यों को भी सूचित करेगा।

भाग 3

गिट्टी जल प्रबंधन के लिए मानक

9. गिट्टी जल एक्सचेंज मानक--(1) इस पैरा के अनुसार गिट्टी जल एक्सचेंज करने वाले जलयान, गिट्टी जल केपरिमाण एक्सचेंज को कम से कम पचानवें प्रतिशत दक्षता से करेगा।

(2) पंपिंग-थ्रू रीति से गिट्टी जल एक्सचेंज करने वाले जलयानों के लिए, प्रत्येकगिट्टी जल टैंक के परिमाण का तीन गुना जल पंपिंगको, उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट मानक को पूरा करने वाला समझा जाएगा।

(3) परिमाण से तीन गुना से कम पंपिंग को भी स्वीकार किया जा सकता है, परंतुजलयान यह प्रदर्शित कर सकेगा कि कम से कम पचानवेंप्रतिशत परिमाणएक्सचेंज पूरा हो गया है।

10. गिट्टी जल निष्पादनमानक--(1) इस पैरा के अनुसार गिट्टी जल प्रबंधन करने वालाजलयान, प्रति क्यूबिक मीटर 10 से कम ऐसे जीवित जीव निस्सारित करेगा, जिनका न्यूनतम आकार पचास माइक्रोमीटर या उससे अधिक हो, और प्रति मिलीलीटर 10 से कम ऐसे जीवित जीव निस्सारित करेगा, जिनका न्यूनतम आकार पचास माइक्रोमीटर से कम और 10 माइक्रोमीटर या उससे अधिक हो, औरसंकेतकसूक्ष्मजीवोंका निस्सारणउपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगा ।

(2) मानवीयस्वास्थ्य के मानक के रूप में, संकेतकसूक्ष्मजीवोंमें निम्नलिखितसम्मिलित होंगे–

(क) प्रति 100 मिलीलीटर में 1 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट (सीएफयू) से कम या प्रति 1ग्राम में 1 सीएफयू (गीले वज़न) से कम ज़ूप्लैंकटन नमूने के साथ टॉक्सिकोजेनिक विब्रियो कोलेरी (ओ1 और ओ139);

(ख) प्रति 100 मिलीलीटर में 250 सीएफयूसे कम एस्चेरिचिया कोलाई;

(ग) प्रति 100 मिलीलीटर में 100सीएफयूसे कम इंटेस्टाइनल एंटरोकोकी।

11. गिट्टी जल प्रबंधनप्रणाली के लिए अनुमोदन अपेक्षाएं--(1) उपपैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, इन नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रयोग की जाने वालीगिट्टी जल प्रबंधनप्रणालीका अनुमोदन, महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) 28 अक्टूबर, 2020 को या उसके पश्चात्स्थापित गिट्टी जल प्रबंधन प्रणाली, बी डब्ल्यू एम एस कोड, जो संशोधित किया जाए, के अनुसार अनुमोदित की जाएगी; और

(ख) 28 अक्टूबर, 2020 से पहले स्थापित गिट्टी जल प्रबंधन प्रणाली, संगठन द्वारा बनाए गएदिशानिर्देशों या बीडब्ल्यूएमएसकोड, जो संशोधित किया जाए, को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की जाएगी ।

(2) ऐसी गिट्टी जल प्रबंधन प्रणाली, जो इन नियमों का पालन करने के लिए सक्रिय पदार्थों या एक अथवाअधिकसक्रिय पदार्थों वाले मिश्रण का प्रयोग करती है, का अनुमोदन, महानिदेशक द्वारा, संगठन द्वारा विकसित प्रक्रिया, जो सक्रिय पदार्थों के अनुमोदन और अनुमोदन की वापसी तथा उनकेप्रयोग की प्रस्तावित रीति विनिर्दिष्ट करेगी, के आधार परकिया जाएगा ।

(3) अनुमोदन वापस लेने के मामले में, संबंधित सक्रिय पदार्थ या पदार्थों का प्रयोग, ऐसी वापसी की तारीख के एक वर्ष के भीतर प्रतिबंधित होगा ।

(4) गिट्टी जल प्रबंधन प्रणाली, जलयान, उसके उपकरणों और क्रू के लिए सुरक्षित होना चाहिए।

12. प्रोटोटाइप गिट्टी जल उपचार प्रौद्योगिकी--(1) यदि कोई, जिसको ये नियम लागू नहीं होते हैं, आशाजनक गिट्टी जल उपचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए, महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी कार्यक्रम में भाग लेता है, तो पैरा 10 में का मानक उस जलयान पर ऐसी भागीदारी की तारीख से पांच वर्ष तक लागू नहीं होगा।

(2) यदि कोई जलयान, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आशाजनक गिट्टी जल उपचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए, महानिदेशक द्वारा अनुमोदित, किसी कार्यक्रम में भाग लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उपचार प्रौद्योगिकियों में पैरा 10 में दिए गए मानक से अधिक मानक प्राप्त करने की क्षमता है, तो पैरा 10 में का मानक उस जलयान पर, ऐसी प्रौद्योगिकी की स्थापना की तारीख से पांच वर्ष के लिए लागू नहीं होगा।

(3) महानिदेशक, आशाजनक गिट्टी जल प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए, किसी कार्यक्रम को स्थापित करने और चलाने में,–

(क) संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगा; और

(ख) ऐसी प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से परीक्षण करने के लिए आवश्यक, केवल न्यूनतम संख्या में जलयानों को ही भागीदारी की अनुमति देगा ।

(4) परीक्षण और मूल्यांकन अवधि के दौरान, उपचार प्रणाली निरंतर और डिजाइन के अनुसार,प्रचालित किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

[नियम 13 देखें]

प्ररूप 1--अंतर्राष्ट्रीय गिट्टी जल प्रबंधन प्रमाणपत्र

पोत केगिट्टी जल और तलछट नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभिसमय" कहा गया है)के उपबंधों के अधीन, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन, ...

(अभिसमय के उपबंधों के अधीन सक्षम व्यक्ति का पूरा पदनाम या प्राधिकृत संगठन)

द्वारा जारी किया गया।

पोत का विवरण[1]

पोत का नाम ....

विशिष्ट संख्या या अक्षर .....

रजिस्टरी का पत्तन ....

सकल टन भार .....

आईएमओसंख्या[2] .....

निर्माण की तारीख .....

गिट्टी जल क्षमता (क्यूबिक मीटर में).....

गिट्टी जल प्रबंधनकी प्रयुक्तरीति .....

स्थापित करने की तारीख (यदि लागू हो)(डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई).....

निर्माता का नाम (यदि लागू हो)

इस पोत पर प्रयुक्तप्रमुख गिट्टी जल प्रबंधनरीति निम्नानुसार है/हैं.....

- विनियम डी-1 के अनुसार
- विनियम के अनुसार डी-2

  (वर्णन करें) .....
- यह पोत विनियम डी-4 के अधीन है
- विनियम ……के अनुसार अन्य दृष्टिकोण

---

[1] वैकल्पिक रूप से, पोत का विवरण क्षैतिज रूप से खानों में रखा जा सकता है ।

[2] आईएमओपोत पहचान संख्या योजनासंकल्प सं0 ए.1117(30), जो संशोधित किया जाए, के अनुसारसंगठन द्वारा अंगीकृत है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. पोत का सर्वेक्षण अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-1 के अनुसार किया गया है; और

2. सर्वेक्षण दर्शित करता है कि पोत पर गिट्टी जल प्रबंधन, अभिसमय के उपाबंध का पालन करता है ।

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-1 के अनुसार सर्वेक्षणों के अधीन .... तक विधिमान्य है ।

सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख, जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है..... डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई

जारी करने का स्थान ....

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

तारीख ..... (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)

(जारी करने की तारीख)

....

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

वार्षिक और मध्यवर्ती सर्वेक्षणों के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि, अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-1द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण में, पोत को उस उपाबंध के सुसंगत उपबंधों का पालन करते हुए पाया गया :

वार्षिक सर्वेक्षण हस्ताक्षरित .....

(सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

वार्षिक सर्वेक्षण*/ मध्यवर्ती सर्वेक्षण* हस्ताक्षरित .....

(सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

वार्षिक सर्वेक्षण*/ मध्यवर्ती सर्वेक्षण* हस्ताक्षरित .....

(सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

वार्षिक सर्वेक्षण हस्ताक्षरित .....

(सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

*यथा समुचित हटाए।

विनियम ई-5.8.3 के अनुसार वार्षिक/मध्यवर्ती सर्वेक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि, अभिसमय के अनुबंध के विनियम ई-5.8.3 के अनुसार किए गए एक वार्षिक/मध्यवर्ती* सर्वेक्षण में, पोत उपाबंध के सुसंगत उपबंधों का पालन करते हुए पाया गया ।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

*यथा समुचित हटाए।

प्रमाणपत्र की अवधि बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन, यदि यह 5 वर्ष से कम समय के लिए विधिमान्य है, जहां विनियमई-5.3 लागू होता है

पोत उपाबंध के संबंधित उपबंधों का पालन करता है, और यह प्रमाणपत्र, अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.3 के अनुसार, ...तक विधिमान्य के रूप में स्वीकार होगा ।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

पृष्ठांकन,जहां नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विनियमई-5.4 लागू होता है

पोत अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का पालन करता है, और यह प्रमाणपत्र, अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.4 के अनुसार, ...तक विधिमान्य के रूप में स्वीकार होगा ।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को, सर्वेक्षण के पत्तन तक पहुँचने तक या अनुग्रह अवधि के लिए बढ़ाने हेतु पृष्ठांकन, जहां विनियम ई-5.5 या विनियम ई-5.6 लागू होता है

यह प्रमाणपत्र, अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.5 या विनियम ई-5.6* के अनुसार, ... (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) तक विधिमान्य के रूप में स्वीकार होगा।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

*यथा समुचित हटाए।

वर्षगांठ की तारीख आगे बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन, जहां विनियम ई-5.8 लागू होता है

अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.8 के अनुसार, नई वर्षगांठ की तारीख ..... है ।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.8 के अनुसार, नई वर्षगांठ की तारीख .....है ।

हस्ताक्षरित .....

(सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

*यथा समुचित हटाए।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को, सर्वेक्षण के पत्तन तक पहुँचने तक या अनुग्रह अवधि के लिए बढ़ाने हेतु पृष्ठांकन, जहां विनियम ई-5.5 या विनियम ई-5.6 लागू होता है

यह प्रमाणपत्र, अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.5 या विनियम ई-5.6* के अनुसार, ... (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) तक विधिमान्य के रूप में स्वीकार होगा।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

*यथा समुचित हटाए।

वर्षगांठ की तारीख आगे बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन, जहां विनियम ई-5.8 लागू होता है

अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.8 के अनुसार, नई वर्षगांठ की तारीख ..... है ।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

अभिसमय के उपाबंध के विनियम ई-5.8 के अनुसार, नई वर्षगांठ की तारीख .....है ।

हस्ताक्षरित .....

(सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप, यथा समुचित)

*यथा समुचित हटाए।

प्ररूप 2--भारतीय गिट्टी जल प्रबंधन प्रमाण पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान गिट्टी जल और तलछट नियंत्रण और प्रबंधन) नियम, 2026 के अधीन, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन जलयान के लिए, ...

(सक्षम व्यक्ति का पूरा पदनाम या प्राधिकृत संगठन)

द्वारा जारी किया गया।

जलयान का विवरण[3]

जलयान का नाम ....

विशिष्ट संख्या या अक्षर .....

रजिस्टरी का पत्तन ....

सकल टन भार .....

आईएमओसंख्या[4] .....

निर्माण की तारीख .....

गिट्टी जल क्षमता (क्यूबिक मीटर में).....

प्रयुक्तगिट्टी जल प्रबंधनरीति का विवरण

प्रयुक्त गिट्टी जल प्रबंधनरीति .....

स्थापित करने की तारीख (यदि लागू हो).....

निर्माता का नाम (यदि लागू हो)

इस जलयान पर प्रयुक्तप्रमुख गिट्टी जल प्रबंधनरीति निम्नानुसार है/हैं .....

- पहली अनुसूची के पैरा 9 के अनुसार
- पहली अनुसूची के पैरा 10 के अनुसार

[3]वैकल्पिक रूप से, पोत का विवरण क्षैतिज रूप से खानों में रखा जा सकता है ।

[4]आईएमओ पोत पहचान संख्या योजना संकल्प सं0 ए.600(15) के अनुसार संगठन द्वारा अंगीकृत है।

(वर्णन करें) .....

- जलयान पहली अनुसूची के पैरा 12 के अधीन है

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. जलयान का सर्वेक्षण,वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान गिट्टी जल और तलछट नियंत्रण और प्रबंधन) नियम, 2026 के अनुसार किया गया है; और

2. सर्वेक्षण से पता चलता है कि जलयान पर बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणाली वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 की लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करता है

यह प्रमाण पत्र नियम 10 के अनुसार सर्वेक्षण के अधीन ..... तक वैध है

सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख जिस पर यह प्रमाण पत्र आधारित है: दिन/ माह /वर्ष

..... परजारी किया गया

(प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान)

....

(जारी करने की तारीख) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

वार्षिक और मध्यवर्ती सर्वेक्षण(ओं) के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 10 द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण, और जलयान को नियमों के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाया गया था:

वार्षिकसर्वेक्षण: हस्ताक्षरित.....

(उचित रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख .....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

वार्षिक*/ मध्यवर्ती सर्वेक्षण*: हस्ताक्षर.....

(उचित रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान

तारीख

(पदधारी की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

वार्षिक */मध्यवर्ती सर्वेक्षण *: हस्ताक्षरित…….

(उचित रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

वार्षिक सर्वेक्षण: हस्ताक्षरित……

(उचित रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान…...……

तारीख……..

(उचित रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

*उचित रूप में हटाएं

नियम 14(8)(ग) के अनुसार वार्षिक या मध्यवर्ती सर्वेक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि, वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 14 के उप नियम (8) केखंड (ग) के अनुसार वार्षिक या मध्यवर्ती* सर्वेक्षण में, जलयान को नियमों के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते पाया गया :

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख .....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

* उचित रूप में हटाएं

जहां नियम 14 (3) लागू होता है वहां प्रमाण पत्र को 5 वर्ष से कम के लिए बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन

जलयान वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है, और यह प्रमाण पत्र
नियम 14 के उप-नियम (3) के अनुसार …….. तक वैध माना जाएगा।

हस्ताक्षर.....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

पृष्ठांकन जहां नवीनीकरण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और नियम 14 (4) लागू होता है

जलयान वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है और यह प्रमाण पत्र नियम 14 के उप-नियम (4) के अनुसार वैध माना जाएगा

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

जहां नियम 14 (5) और 14 (6) लागू होता है वहां
प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन
सर्वेक्षण का पत्तन पर पहुंचना या अनुग्रह की अवधि के लिए

वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 14 के उपनियम (5) एवं (6) के अनुसार प्रमाण पत्र ..... तक वैध रूप से स्वीकृत माना जाएगा

हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

* उचितरूप में हटाएं

वर्षगांठ की तारीख की उन्नति के लिए पृष्ठांकन

जहाँ नियम 14 (8) लागू होता है

वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 14 के उप-नियम (8) के अनुसार, नई वर्षगांठ की तारीख …….

हस्ताक्षरित……

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

वाणिज्य पोत परिवहन (जलयान बैलास्ट जल और अवसाद का नियंत्रण तथा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 14 के उप-नियम (8) के अनुसार, नई वर्षगांठ की तारीख है……..

हस्ताक्षरित…….

(उचित रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उचित हो)

प्ररूप-3 बैलास्ट वाटर रिकॉर्ड बुक

[प्रथम अनुसूची का पैरा 2 देखें]

बैलास्ट जल रिकॉर्ड बुक

पोतों के बैलास्ट जल और तलछट के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पोत का नाम	……

आई एमओ नंबर,विशिष्ट संख्या या अक्षर ....
.....

सकल टनभार ..... । ..... ।
.....

झंडा ..... । ..... ।
.....

कुल बैलास्ट जल क्षमता (घन मीटर में)	……..
अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्रों की संख्या	……

अवधि	……		से	……

इस बैलास्ट जल रिकॉर्ड बुक का एक आवश्यक भाग एक ऐसा आरेख होगा जो 'बैलास्ट जलप्रबंधन योजना' के अनुसार पोत के बैलास्ट टैंकों की पहचान करता हो; इसमें बैलास्ट जल ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया कोई भी बहु-प्रयोजन टैंक, स्थान या कम्पार्टमेंट भी शामिल होगा।

(1) परिचय

अभिसमय के संलग्न के विनियमबी-2 या पहली अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार, जैसा भी मामला हो, हर बॉलस्ट जल ऑपरेशन का रिकॉर्ड रखना है । इसमें समुद्र में डिस्चार्ज और रिसेप्शन की सुविधाएं शामिल हैं ।

"बॉलस्ट जल" से जल और उसका रुका हुआ सामान जो पोत पर लिया जाता है, ताकि पोत की ट्रिम, लिस्ट, ड्राफ्ट, स्टेबिलिटी या स्ट्रेस को नियंत्रित किया जा सके, अभिप्रेत है । बॉलस्ट जल का प्रबंधन, संगठन द्वारा विकसित किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, एक मंज़ूर बैलास्ट जल प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाएगा ।

बैलास्ट जल रिकॉर्ड बुक की प्रविष्टियां पूरी की जानी चाहिए, जिसमें संगठनद्वारा बनाए गए किसी भी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पोत पर विद्यमान बैलास्ट जल की मात्रा का अनुमान क्यूबिक मीटर में लगाया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि बैलास्ट जल की मात्रा का अनुमान लगाने की सटीकता का पता लगाना पड़ता है।

(2) बैलस्ट जल रिकॉर्ड बुक में प्रविष्टियाँ

बैलास्ट जल रिकॉर्ड बुक में प्रविष्टियाँ निम्नलिखित अवसरों में से प्रत्येक पर की जानी चाहिए

(क) जब बैलास्ट जल को जलीय परिसर से पोत पर लाया जाता है (बैलास्टिंग ऑपरेशन)

(1)प्रारंभ समय और स्थान (अपटेक का पत्तन या अक्षांश/देशांतर);

(2) समापन समय और स्थान (अपटेक का पत्तन या अक्षांश/देशांतर और अपटेक के दौरान जल की न्यूनतम गहराई);

(3) प्रभावित टैंकों की पहचान;

(4) उद्गृहीत किया गया अनुमानित आयतन तथा प्रतिधारित अंतिम कुल मात्राघन मीटर में;

(5) क्या अनुमोदित बैलास्ट जल प्रबन्धन योजना के अनुसार संचालित किया गया है; और

(6) बैलास्ट जल उपचार विधि।

(ख) जब बैलास्ट जल को जलीय परिसर में छोड़ा जाता है (डीबैलास्टिंग ऑपरेशन)

(1) प्रारंभ समय और स्थान (उत्सर्जित पत्तन या अक्षांश/देशांतर);

(2) उत्सर्जन का समापन समय और स्थान पत्तन या अक्षांश/देशांतर और उत्सर्जन के दौरान जल की न्यूनतम गहराई);

(3) प्रभावित टैंकों की पहचान;

(4) उत्सर्जन की अनुमानित मात्रा तथा प्रतिधारित अंतिम कुल मात्रा घन मीटरमें;

(5) क्या अनुमोदित बैलास्ट जल प्रबन्धन योजना के अनुसार संचालन किया गया है; और

(6) बैलास्ट जल उपचारविधि।

(ग) जब भी बैलास्ट जल का आदान-प्रदान किया जाता है, आंतरिक परिसंचरण के माध्यम से उपचारित किया जाता है या टैंक में उपचारित किया जाता है

(1) बैलास्ट जल विनिमय

(i) प्रारंभ समय और स्थान (अक्षांश/देशांतर);

(ii) समापन समय और स्थान (अक्षांश/देशांतर);

(iii) विनिमय के दौरान निकटतम भूमि से न्यूनतम दूरी तथा जल की न्यूनतम गहराई, या यदि लागू हो, तो अभिसमय के विनियमन बी-4.2 के अनुसार अभिहित विनिमय क्षेत्र की पहचान करना;

(iv) क्या यह स्थिर जल प्रबंधन योजना के अनुसार संचालित किया गया है और प्रयुक्त स्थिर जल विनिमय विधि (अनुक्रमिक या प्रवाह के माध्यम से या अवमिश्रण) बताएं;

(v) प्रभावित टैंकों की पहचान ;

(vi) कुल विनिमय मात्रा तथा पोत पर अंतिम कुल मात्राघन मीटर में

(vii) आने वाले बैलस्ट जल के लिए उपचार विधि।

(2) उपचार या टैंक के भीतर उपचार के लिए बैलस्ट जल का आंतरिक परिसंचरण

(i) प्रारंभ समय;

(ii) समापन समय;

(iii) प्रभावित टैंकों की पहचान (यदि लागू हो तो स्रोत और गंतव्य टैंकों की पहचान);

(iv) उपचारित की गई कुल मात्रा (परिचालन या टैंक में) क्यूबिक मीटर में; और

(v) बैलास्ट जल उपचार विधि।

(घ) पत्तन-आधारित या प्रवेश सुविधा से/तक बैलस्ट जल का अपटेक या उत्सर्जन

(1) अपटेक/ उत्सर्जन का प्रारंभ समय और स्थान (सुविधा का नाम बताएं);

(2) पूरा होने का समय;

(3) किया गया प्रचालन (चाहे अपटेक हो या उत्सर्जन);

(4) प्रभावित टैंकों की पहचान;

(5) कुल मात्रा घन मीटर में और पोत पर रखी गई अंतिम मात्रा;

(6) क्या यह मंज़ूर बैलास्ट प्रबंधन योजना के अनुसार किया गया है; और

(7) पोत पर बैलास्ट जल उपचार का तरीका।

(ड.) दुर्घटनावश रिसाव/प्रवेश या अन्य अपवादस्वरूप बैलेंस्ट जल का अवशोषण या निकास

(1) प्रवेश/ग्रहण/उत्सर्जन का प्रारंभ समय और स्थान (पोर्ट का नाम या अक्षांश/देशांतर;

(2) समापन समय;

(3) किया गया संचालन (चाहे प्रवेश, अवशोषण या उत्सर्जन);

(4) प्रभावित टैंकों की पहचान;

(5) बैलेंस्ट जल की कुल मात्रा (घन मीटर में) और

(6) प्रवेश, अवशोषण, उत्सर्जन या हानि की परिस्थितियां, उसका कारण, प्रयुक्त उपचार पद्धति तथा सामान्य टिप्पणियां बताएं।

(च) असफलता और अपरिचालनीयता (असफलता और अपरिचालनीयता में बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणाली की खराबी का संकेत देने वाले खराब काम, शटडाउन या क्रिटिकल अलार्म शामिल हैं, जो अभिसमय केडी-2 मानक का पालन न करने का संकेत दे सकते हैं, (रूटीन जानकारी और चेतावनियों को छोड़कर)

(1) बैलस्ट जल प्रबंधन प्रणाली की विफलता का समय और स्थान (पत्तन का नाम या अक्षांश/देशांतर);

(2) किया गया प्रचालन (बताएं कि अपटेक या उत्सर्जन);

(3) समस्या का विवरण (जैसे अलार्म का प्रकार या परिस्थितियों का अन्य विवरण); और

(4) समय और स्थान (पत्तन का नाम या अक्षांश /देशांतर) जब बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणाली चालू की गई हो।

(छ) बैलास्ट टैंक की सफाई/फ्लशिंग, तलछट को हटाना और निपटान

(1) बैलास्ट टैंक की सफाई/फ्लशिंग, तलछट को हटाने या निपटान की शुरुआत पर समय और जलयान का स्थान (बंदरगाह का नाम या अक्षांश/देशांतर);

(2) बैलास्ट टैंक की सफाई पूरी होने पर समय और पोत का स्थान। तलछट का संप्रवाहन , निष्कासन या निपटान (पत्तन का नाम या अक्षांश/देशांतर);

(3) टैंक (टैंकों) की पहचान (बैलास्ट जल प्रबंधन योजना के अनुसार बैलास्ट टैंकों का नाम);

(4) अभिग्रहण सुविधा के लिए उत्सर्जन या निपटान (घन मीटर में मात्रा और सुविधा का नाम बताएं); और

(5) बैलास्ट जल प्रबंधन योजना के अनुसार जलीय पर्यावरण में निपटान या उत्सर्जन (घन मीटर में मात्रा बताएं, निकटतम भूमि से न्यूनतम दूरी एनएम में और जल की न्यूनतम गहराई मीटर में बताएं)।

(ज) अतिरिक्त परिचालन प्रक्रियाएँ और सामान्य टिप्पणियाँ

नमूना बैलास्ट जल अभिलेख बुक पेज

जलयान का नाम .....

आईएमओ संख्या, विशिष्ट संख्याएँ या अक्षर.....

तारीख	कोड (अक्षर)	मद (सख्या)	प्रचालन काअभिलेख/ भारससाधक अधिकारी के हस्ताक्षर

मास्टर के हस्ताक्षर.....

[फा. सं. एसवाई-19014/198/2025-एमजी-भाग(2)]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2026

G.S.R.714(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (l) and (m) of sub-section (2) of section 143 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels' Ballast Water and Sediments) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of accession of the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments, 2004, by India.

2. Application. – (1) The provisions of these rules shall apply in accordance with the provisions of section 131 of the Merchant Shipping Act, 2025.

(2) These rules shall not apply to –

(a) vessels not designed or constructed to carry ballast water;

(b) vessels which only operate in coastal waters, unless the Director-General determines that the discharge of ballast water from such vessels would impair or damage India's environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other States;

(c) Indian vessels which operate only in the high seas unless the Director-General determines that the discharge of ballast water from such vessels would impair or damage India's environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other States;

(d) permanent ballast water in sealed tanks on vessels, that is not subject to discharge.

3. **Definitions**.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "active substance" means a substance or chemical or organism, including a virus or a fungus that has a general or specific action on or against harmful aquatic organisms and pathogens;

(c) "administration", with respect to a vessel entitled to fly a flag of another State, means the Government of that State and with respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and sub-soil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of its natural resources, including Floating Storage Units and Floating Production Storage and Offloading Units, means the Government of the coastal State concerned;

(d) "anniversary date" means the day and the month of each year corresponding to the date of expiry of the Certificate;

(e) "ballast water" means water with its suspended matter taken on board a vessel to control trim, list, draught, stability or stresses of the vessel;

(f) "ballast water capacity" means the total volumetric capacity of any tanks, spaces or compartments on a vessel used for carrying, loading or discharging ballast water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow carriage of ballast water;

(g) "ballast water management" means mechanical, physical, chemical and biological processes, either singularly or in combination, to remove, render harmless, or avoid the uptake or discharge of harmful aquatic organisms and pathogens within ballast water and sediments;

(h) "BWMS Code" means the Code for Approval of Ballast Water Management Systems adopted by resolution of the Marine Environment Protection Committee 300(72), as may be amended by the Organisation, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with article 19 of the International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments 2004, as amended;

(i) "Certificate" means the International Ballast Water Management Certificate or, the Indian Ballast Water Management Certificate, as the case may be;

(j) "constructed" in respect of a vessel means a stage of construction where:

(i) the keel is laid; or

(ii) construction identifiable with the specific vessel begins; or

(iii) assembly of the vessel has commenced comprising at least 50 tonnes or one per cent. of the estimated mass of all structural material, whichever is less; or

(iv) the vessel undergoes a major conversion;

(k) "Convention" means International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments 2004, as amended;

(l) "harmful aquatic organisms and pathogens" means aquatic organisms or pathogens which, if introduced into the sea including estuaries, or into fresh water sources, may create hazards to the environment, human health, property or resources, impair biological diversity or interfere with other legitimate uses of such areas;

(m) "nearest land" shall have the same meaning as assigned to it in the Convention, including the special baseline off the north-eastern coast of Australia;

(n) "Organisation" means the International Maritime Organisation;

(o) "recognised organisation" means a classification society or other body recognised under section 9 of the Act for the purpose of performing statutory surveys, audits, inspections, approvals and certification functions on behalf of the Central Government;

(p) "sediments" means matter settled out of ballast water within a vessel;

(q) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules containing the requirements of the Convention, as amended from time to time.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

(3) Words and expressions used in these rules and not defined either herein or in the Act, but defined in the Convention, shall have the meanings respectively assigned to them in the Convention.

4. General requirements for vessels.– (1) Unless otherwise expressly provided, the discharge of ballast water shall only be conducted through ballast water management in accordance with the provisions of the First Schedule.

(2) Where a vessel is required to store treated waste water or grey water in ballast tanks, it shall comply with the directions issued by the Director-General under the provisions contained in the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Sewage from Vessels) Rules, 2026.

5. Exceptions.– The requirements of paragraph 3 of the First Schedule to these rules shall not apply to–

(a) the uptake or discharge of ballast water and sediments necessary for the purpose of ensuring the safety of a vessel in emergency situations or saving life at sea; or

(b) the accidental discharge or ingress of ballast water and sediments resulting from damage to a vessel or its equipment:

Provided that–

(i) all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage or discovery of the damage or discharge for the purpose of preventing or minimising the discharge; and

(ii) the owner, company or officer in charge has not willfully or recklessly caused the damage; or

(c) the uptake and discharge of ballast water and sediments when being used for the purpose of avoiding or minimising pollution incidents from the vessel; or

(d) the uptake and subsequent discharge on the high seas of the same ballast water and sediments; or

(e) the discharge of ballast water and sediments from a vessel at the same location where the whole of that ballast water and those sediments originated and provided that no mixing with unmanaged ballast water and sediments from other areas has occurred; or

(f) the ballast water taken from other areas is subject to ballast water management in accordance with these rules, if mixing has occurred.

6. Exemptions. – (1) The Director-General may grant exemptions from any requirement of paragraph 3 or 7 of the First Schedule, in addition to any other exemptions granted under these rules, provided such exemptions are–

(a) granted to a vessel or vessels on a voyage or voyages between specified ports or locations or to a vessel which operates exclusively between specified ports or locations;

(b) effective for a period of not more than five years, subject to intermediate review;

(c) granted to vessels that do not mix ballast water or sediments other than between the ports or locations specified in clause (a) of this sub-rule; and

(d) granted based on the guidelines on risk assessment developed by the Organisation.

(2) Exemptions granted under sub-rule (1) shall not be effective until such exemptions are communicated to the Organisation and the relevant information is circulated to the parties.

(3) Any exemptions granted under this rule shall not impair or damage the environment, human health, property or resources of an adjacent State and the Director-General may consult any other State that may be adversely affected, with a view to resolving any identified concerns.

(4) Any exemptions granted under this rule shall be recorded in the ballast water record book.

7. Equivalent compliance. –Pleasure crafts used solely for recreation or competition or craft used primarily for search and rescue, less than fifty meters in length overall, and with a maximum ballast water capacity of eight cubic meters as may be determined by the Director-General taking into account the guidelines developed by the Organisation, shall comply with these rules.

8. Control of transfer ballast water and sediments of harmful aquatic organisms and pathogens through vessels' ballast water and sediments. – Every vessel shall comply with the standards and requirements set forth in the First Schedule for the control and management of ballast water and sediments.

9. Sediment reception facilities.– (1) Every port and terminal in India where cleaning or repair of ballast tanks occurs, shall ensure the provision of adequate facilities for the reception of sediments, taking into account the guidelines developed by the Organisation, and such reception facilities shall operate without causing undue delay to vessels and shall provide for the safe disposal of such sediments that does not impair or damage their environment, human health, property or resources or those of other States.

(2) The Director-General shall notify the Organisation, for transmission to the contracting governments concerned, of all cases where the facilities to be provided under sub-rule (1) are alleged to be inadequate.

10. Surveys.– (1) Indian vessels of 400 gross tonnage and above, to which these rules apply, excluding floating platforms, Floating Storage Units and Floating Production Storage and Offloadings shall be subject to surveys as specified below in accordance with the applicable rules made under the Act dealing with survey, audit and certification, namely: –

(a) an initial survey before the vessel is put in service or before the Certificate required under rule 11 or rule 12 is issued for the first time and this survey shall verify that the ballast water management plan required by paragraph 1 of the First Schedule and any associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or processes comply fully with the requirements of these rules, and this survey shall confirm that a commissioning test has been conducted to validate the installation of any ballast water management system by demonstrating that its mechanical, physical, chemical and biological processes are working properly, taking into account the guidelines developed by the Organisation.

(b) a renewal survey at intervals not exceeding five years, except where the sub-rules (2), (5), (6) or (7) of rule 14 is applicable and this survey shall verify that the ballast water management plan required by the paragraph 1 of the First Schedule and any associated structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material or processes comply fully with the applicable requirements of these rules;

(c) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys as specified in clause (d) and such survey shall ensure that the equipment, associated systems and processes for ballast water management fully comply with the applicable requirements of these rules and are in good working order and it shall be endorsed on the Certificate issued under rule 11 or rule 12;

(d) an annual survey within three months before or after each anniversary date, including a general inspection of the structure, any equipment, systems, fittings, arrangements and material or processes associated with the ballast water management plan required by paragraph 1 of the First Schedule to ensure that they have been maintained in accordance with sub-rule (13) remain satisfactory for the service for which the vessel is intended and such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under rule 11 or rule 12;

(e) an additional survey either general or partial, after a change, replacement, or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to achieve full compliance with these rules and the survey shall be such as to ensure that any such change, replacement or significant repair has been effectively made, so that the vessel complies with the requirements of these rules;

(f) when an additional survey under clause (e) is undertaken for the installation of any Ballast Water Management System, it shall be made to ensure that any such change, replacement or significant repair has been effectively made, so that the vessel complies with the requirements of these rules.

(g) when an additional survey is undertaken under clause (e) for the installation of any Ballast Water Management System, it shall confirm that a commissioning test has been conducted to validate the installation of the system by demonstrating that its mechanical, physical, chemical and biological processes are working properly, taking into account the guidelines developed by the Organisation.

Explanation.– For the purposes of this rule, the guidelines developed by the Organisation means the 2020 Guidelines for the commissioning testing of Ballast Water Management Systems (BWM.2/ Circ.70/Rev.1) as may be amended.

(2) The surveys of vessels for the purpose of enforcement of the provisions of these rules shall be carried out by the surveyors or persons authorised under the Act.

(3) The surveyors or authorised persons are authorised to–

(a) require the vessel that they survey to comply with the provisions of these rules or of the Convention; and

(b) carry out survey and inspections if requested by the appropriate authorities of a port State that is a party.

(4) The Director-General shall notify the Organisation of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the surveyors under sub-rule (3), if any, for circulation to parties for the information of their officers.

(5) When the surveyor or an authorised person determines that the vessel‘s ballast water management does not conform to the particulars of the Certificate required under rule 11 or rule 12 or is such that the vessel is not fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources, such surveyor or an authorised person shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the vessel into compliance and if an Indian vessel is in the port of another State, the appropriate authorities of the port State concerned shall be notified immediately.

(6) Where any vessel other than Indian vessel is in an Indian port and a notification under regulation E-1.6 of the Convention regarding such vessel is received by Director-General from an officer of the administration, a nominated surveyor or recognised organisation of the vessel concerned, the Director-General shall give such officer, surveyor or recognised organisation any necessary assistance to carry out their obligations under these rules.

(7) If the corrective action referred to in sub-rule (5) is not complied with, the Director-General shall be informed in writing by the surveyor or the recognised organisation forthwith and the International Ballast Water Management Certificate or the Indian Ballast Water Management Certificate, as the case may be, shall not be issued, and if already issued, the respective Certificate shall, by order, be withdrawn by the Director-General and in case the vessel is in the port of another party, the appropriate authorities of the port State concerned shall be notified immediately.

(8) Upon compliance of corrective measures as suggested under sub-rule (5), an additional survey shall be undertaken in accordance with clauses (e), (f) and (g) of sub-rule (1).

(9)Whenever an accident occurs to a vessel or a defect is discovered which substantially affects the ability of the vessel to conduct ballast water management in accordance with these rules, the owner, operator or other person in charge of the vessel shall report at the earliest opportunity to the Director General, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by sub-rule (1) is necessary.

(10) In a situation specified in sub-rule (9), if an Indian vessel is in the port of another State, the owner, operator or other person in charge shall report immediately to the appropriate authorities of the port State concerned and also to the Director-General.

(11) In every case, the Director-General shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

(12) The condition of the vessel and its equipment, systems and processes shall be maintained to conform with the provisions of these rules and of the Convention to ensure that the vessel in all respects shall remain fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

(13) After any survey of the vessel under sub-rule (1) has been completed, no change shall be made in the structure, any equipment, fittings, arrangements or material associated with the ballast water management plan required by paragraph 1 of the First Schedule and covered by the survey without the sanction of the administration, except the direct replacement of such equipment or fittings.

(14) The Director-General shall specify the appropriate measures for vessels that are not subject to the provisions of sub-rule (1) in order to ensure that these rules are complied with.

11. Issue or endorsement of an International Ballast Water Management Certificate or Indian Ballast Water Management Certificate.– (1) The Director-General or a recognised organisation shall require, after the successful completion of a survey in accordance with rule 10, to issue or endorse –

(a) International Ballast Water Management Certificate to Indian vessels referred to in sub-rule (1) of rule 10, which is of 400 gross tonnage and above and engaged in an international voyage; or

(b) Indian Ballast Water Management Certificate to vessels referred to in sub-rule (1) of rule 10, which is of 400 gross tonnage and above, with appropriate conditions as applicable for each type of Indian vessel and not engaged in international voyage; or

(c) Indian Ballast Water Management Certificate to an Indian vessel entitled to fly Indian flag which is below 400 gross tonnage, with appropriate conditions as applicable for each type of vessel and not engaged in international voyage.

(2) The Certificates issued under this rule shall be endorsed by the Director-General and shall assume full responsibility for the Certificate.

12. Issue or endorsement of an International Ballast Water Management Certificate for or by another administration.– (1) At the request of an administration of a foreign vessel, the Director General, may cause that vessel to be surveyed and, if satisfied, shall issue or authorise the issue of the International Ballast Water Management Certificate to that vessel and, where appropriate, endorse or authorise the endorsement of the Certificate for the vessel in accordance with the Convention.

(2) Upon compliance with sub-rule (1), a copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the administration concerned.

(3) The Certificate so issued shall contain a statement that it has been issued at the request of the administration concerned.

(4) Where the survey is to be carried out for an Indian vessel which is in the jurisdiction of an administration, the Director-General may request that administration to carry out a survey in accordance with the provisions of the Convention and issue an International Ballast Water Management Certificate, if such administration is authorised to do the same.

(5) No Certificate shall be issued to a vessel entitled to fly the flag of a State which is not a party.

13. Form of Certificate.– The Certificate shall be issued in the Form specified in the Second Schedule.

14. Duration and validity of the Certificate. – (1) An International Ballast Water Management Certificate or an Indian Ballast Water Management Certificate may be issued by the Director-General or recognised organisation, for a period not exceeding five years.

(2) For the purposes of renewal surveys–

(a) subject to the requirements of sub-rule (1), when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate;

(b) when the renewal survey is completed after the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate;

(c) when the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(3) In case a Certificate is issued for a period of less than five years, the Director-General or recognised organisation authorised by it, may extend the validity of the Certificate beyond the expiry date to a maximum period of five years:

Provided that the surveys referred to in clause (c) of sub-rule (1) of rule 10 shall be applicable when a Certificate is issued for a period of five years.

(4) In case a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed onboard the vessel before the expiry date of the existing Certificate, the surveyor authorised by the Director-General may endorse the existing Certificate and such Certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.

(5) If at the time when the Certificate expires, a vessel is not in a port in which it is to be surveyed or in such other cases as it deems proper and reasonable so to do, the Director-General may extend the period of validity of the Certificate:

Provided that such extension shall be granted only for the purpose of allowing the vessel to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed and such Certificate shall not be granted for a period beyond three months:

Provided further that a vessel to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled to leave that port without having a new Certificate and such new Certificate issued after the renewal survey is completed shall be valid for a maximum period of five years from the date of expiry of the existing Certificate.

(6) A Certificate issued to a vessel engaged on short voyages may be granted extension by the Director-General or recognised organisation, for a period of grace of up to one month from the date of expiry and when the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid for a period not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.

(7) In special circumstances, as determined by the Director-General or the recognised organisation, a new Certificate shall not be dated from the date of expiry of the existing Certificate as required by clause (b) of sub-rules (2), (5) and (6) and in these special circumstances, the new Certificate shall be valid upto a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(8) In case an annual or intermediate survey is completed before the period specified in rule 10, then–

(a) the anniversary date shown on the Certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;

(b) the subsequent annual or intermediate survey required by rule 10 shall be completed at the intervals specified by that rule using the new anniversary date;

(c) the expiry date may remain unchanged provided one or more annual or intermediate surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys specified by rule 10 are not exceeded.

(9) A Certificate issued under rules 11 and 12 shall cease to be valid in any of the following cases, namely:–

(a) upon the transfer of the vessel to the flag of another State, –

(i) if a request has been made by the administration to which an Indian vessel was transferred within three months from the date of transfer, the Director-General may, as soon as possible, transmit to that administration a copy of the Certificates carried by the vessel prior to the transfer and, if available, a copy of the relevant survey reports;

(ii) in the case of transfer of a vessel from another State, a new Certificate shall only be issued when the Director-General is fully satisfied that the vessel is in compliance with the requirements of rule 10;

(b) in case the relevant surveys are not completed within the periods specified under sub-rule (1) of rule 10; or

(c) in case the Certificate is not endorsed in accordance with sub-rule (1) of rule 10.

15. Inspection of vessels.– (1) A vessel to which these rules apply may, in any port or offshore terminal within the jurisdiction of Central Government, be subject to inspection by the surveyor or an authorised person for the purpose of determining whether the vessel is in compliance with these rules.

(2) Subject to the provisions contained in sub-rule (3), any inspection under sub-rule (1) shall be limited to–

(a) verifying that there is onboard a valid Certificate, which, if valid shall be accepted;

(b) inspection of the ballast water record book;

(c) a sampling of the vessel's ballast water, carried out in accordance with the guidelines developed by the Organisation:

Provided that the time required to analyse the samples shall not be used as a basis for unduly delaying the operation, movement or departure of the vessel.

(3) A detailed inspection may be carried out where a vessel does not carry a valid Certificate or there are clear grounds for believing that–

(a) the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate; or

(b) the master or the crew are not familiar with essential vessel board procedures relating to ballast water management, or have not implemented such procedures.

(4) In the circumstances given in sub-rule (3), the surveyor or an authorised person carrying out the inspection shall take such steps and ensure that the vessel shall not discharge ballast water until it can do so without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

16. Detection of violations and control of vessels. – (1) The Director-General shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the provisions of the Convention or these rules.

(2) If the sampling specified in clause (c) of sub-rule (2) of rule 15 leads to a result, or supports information received from another port or offshore terminal, indicating that the vessel poses a threat to the environment, human health, property or resources, the Director-General shall prohibit such vessel from discharging ballast water until the threat is removed.

(3) The surveyor or an authorised person may also inspect a vessel when it enters the ports or offshore terminals under the jurisdiction of India, if a request for an investigation is received from any party or its administration, together with sufficient evidence that the vessel is operating or has operated in violation of any provision of the Convention or these rules and the report of such investigation shall be sent to the party requesting it and to the competent authority of the administration of the vessel concerned for taking appropriate action.

17. Fee.– (1) The fees which may be levied for survey, inspection and certification under these rules shall be as specified in the applicable rules made under the Act dealing with survey, audit and certification.

(2) The fees payable by ports and terminals to the Director-General for audit or inspection of reception facilities and scrutiny, approval and periodic review of the port waste management plan shall not be less than forty thousand rupees.

18. **Penalties and enforcement.** – (1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in the Act.

(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules, and for which no specific penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act, shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees, and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to five thousand rupees for every day after the first day during which the breach continues.

(3) The imposition of any penalty under this rule shall not absolve the owner or master from the requirement of rectifying the non-compliance.

First Schedule

[*See* rules 4, 5, 6, 8 and 10]

REGULATIONS FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF VESSELS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS

PART -I

MANAGEMENT AND CONTROL REQUIREMENTS FOR VESSELS

1. Ballast water management plan.– (1) Each vessel shall have onboard a ballast water management plan approved by the Director-General taking into account the guidelines developed by the Organisation.

(2) The ballast water management plan shall be specific to each vessel and shall contain the following particulars, namely:–

(a) detailed safety procedures for the vessel and the crew associated with ballast water management as required by these rules;

(b) detailed description of the actions to be taken to implement the ballast water management requirements and supplemental ballast water management practices as set forth in these rules;

(c) detailed procedures for the disposal of sediments at sea and to shore;

(d) the procedures for coordinating shipboard ballast water management that involves discharge to the sea with the administrations into whose waters such discharge will take place;

(e) designated officer onboard in charge of ensuring that the plan is properly implemented; and

(f) procedure for reporting requirements for vessels provided for under these rules and the Convention.

2. **Ballast water record book.** – (1) Each vessel shall maintain onboard a ballast water record book or an electronic record system that may be integrated into another record book or system, taking into account the guidelines developed by the Organisation, containing the information specified in Form-III of the Second Schedule.

Explanation.– For the purposes of this paragraph, the guidelines developed by the Organisation, means the guidelines for the electronic record books under the International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments, 2004 (resolution of the Marine Environment Protection Committee 372(80)), as may be amended.

(2) The ballast water record book entries shall be maintained onboard the vessel for a minimum period of two years after the last entry has been made and thereafter in the company's control for a minimum period of three years.

(3) In the event of the discharge of ballast water pursuant to rules 5 and 6 or sub-paragraph (6) of paragraph 3 or in the event of other accidental or exceptional discharge of ballast water not otherwise exempted by these rules, an entry shall be made in the ballast water record book describing the circumstances of, and the reason for the discharge.

(4) The ballast water record book shall be kept readily available for inspection at all reasonable times and, in the case of an unmanned vessel under tow, may be kept on the towing vessel.

(5) Each operation concerning ballast water shall be fully recorded without delay in the ballast water record book and each entry shall be signed by the officer in charge of the operation concerned and each completed page shall be signed by the master.

(6) The entries in the ballast water record book shall be in a working language of the vessel and if that language is not English the entries shall contain a translation into English language and when entries in an official national language of the administration whose flag the vessel is entitled to fly are also used, they shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

(7) The surveyor or an authorised person may board a vessel, at such reasonable time, for the purpose of inspecting the ballast water record book onboard any vessel to which these rules apply while the vessel is in its port or offshore terminal.

(8) The surveyor or an authorised person, may make a copy of any entry of the ballast water record book and require the master to certify that the copy is a true copy.

(9) Any such certified copy shall be admissible in any judicial proceeding as evidence of the facts stated in the entry.

3. Ballast water management for vessels. – (1) A vessel constructed before the year 2009,—

(a) with a ballast water capacity between 1,500 and 5,000 cubic meters, inclusive; or

(b) with a ballast water capacity of less than 1,500 or greater than 5,000 cubic meters,

shall conduct ballast water management that meets the standard specified in paragraphs 9 or 10 until the renewal survey specified in sub-paragraph (10), after which time it shall meet the standard specified in paragraph 10.

(2) A vessel constructed in or after the year 2009 and before 8th September, 2017 with a ballast water capacity of less than 5,000 cubic meters shall conduct ballast water management that meets the standards specified in paragraph 10, from the date of the renewal survey specified in sub-paragraph (10).

(3) A vessel constructed in or after the year 2009, but before 2012, with a ballast water capacity of 5,000 cubic meters or more shall conduct ballast water management in accordance with sub-paragraph (2).

(4) A vessel constructed in or after the year 2012 with a ballast water capacity of 5000 cubic meters or more shall conduct ballast water management that meets the standard specified in paragraph 10, from the date of the renewal survey specified in sub-paragraph (10).

(5) A vessel constructed on or after 8th September, 2017 shall conduct ballast water management that meets the standard specified in paragraph 10.

(6) The requirements of this paragraph do not apply to vessels that discharge ballast water to a reception facility designed taking into account the guidelines developed by the Organisation for such facilities.

(7) Other methods of ballast water management may also be accepted as alternatives to the requirements specified in sub-paragraphs (1) to (5) and (8):

Provided that such methods ensure at least the same level of protection to the environment, human health, property or resources, and are approved in principle by the Marine Environment Protection Committee.

(8) A vessel, constructed before 8th September, 2017 to which the renewal survey specified in sub-paragraph (10) does not apply, shall conduct ballast water management that meets the standard specified in paragraph 10 from the date decided by the Director-General, but not later than 8th September, 2024.

(9) A vessel subject to sub-paragraphs (2), (4) or (8) shall be required to comply with either paragraph 9 or 10, until such time as it is required to comply with paragraph 10.

(10) Subject to the provisions of clause (b) of sub-rule (1) of rule 10, the renewal survey referred to in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1), sub-paragraph (2) and sub-paragraph (4) of this paragraph shall be conducted once in every five years in accordance with the resolution of the Marine Environment Protection Committee 298(72).

4.Ballast water exchange.– (1) A vessel conducting ballast water exchange to meet the standard in paragraph 9 shall—

(a) conduct such ballast water exchange at least 200 nautical miles from the nearest land and in water at least 200 meters in depth, taking into account the guidelines developed by the Organisation;

(b) in cases where the vessel is unable to conduct ballast water exchange in accordance with clause (a), such ballast water exchange shall be conducted taking into account the guidelines specified therein and as far from the nearest land as possible, and in all cases at least 50 nautical miles from the nearest land and in water at least 200 meters in depth.

(2) In sea areas where the distance from the nearest land or the depth does not meet the parameters specified in clause (a) or (b) of sub-paragraph (1), the Director-General may designate areas, in consultation with adjacent to other countries, as appropriate, where a vessel may conduct ballast water exchange, taking into account the guidelines specified in sub-paragraph (1).

(3) A vessel shall not be required to deviate from its intended voyage, or delay the voyage, in order to comply with any particular requirement of sub-paragraph (1).

(4) A vessel conducting ballast water exchange shall not be required to comply with sub-paragraph (1) or (2), if the master reasonably decides that such exchange would threaten the safety or stability of the vessel, its crew, or its passengers because of adverse weather, vessel design or stress, equipment failure, or any other extraordinary condition.

(5) When a vessel is required to conduct ballast water exchange and does not do so in accordance with this paragraph, the reasons shall be entered in the ballast water record book.

(6) In case of any deviations from the plan, the discharge of ballast water with co-ordinates of the point of discharge, quantity of discharge, water depth, wind direction and velocity should be noted in the ballast water record book.

(7) No ballast water exchange or discharge shall be carried out in direct vicinity of any ecological sensitive areas like marine national park etc.

5. Sediment management for vessels. – (1) All vessels shall remove and dispose of sediments from spaces designated to carry ballast water in accordance with the provisions of the vessel's ballast water management plan.

(2) The vessels specified in sub-paragraphs (3) to (5) of paragraph 3 shall, without compromising safety or operational efficiency, be designed and constructed with a view to minimise the uptake and undesirable entrapment of sediments, facilitate removal of sediments, and provide safe access to allow for sediment removal and sampling, taking into account guidelines developed by the Organisation.

(3) The vessels specified in sub-paragraph (1) of paragraph 3 may, to the extent practicable, comply with this paragraph.

6. Duties of officers and crew.– Officers and crew shall be familiar with their duties in the implementation of ballast water management particular to the vessel on which they serve and shall, appropriate to their duties, be familiar with the vessel's ballast water management plan.

Part – II

SPECIAL REQUIREMENTS IN CERTAIN AREAS

7. **Additional measures.**– (1) The Director-General, individually or jointly with other administrations which are party to the Convention, if determines that measures in addition to those in Part-I of this Schedule are necessary to prevent, reduce, or eliminate the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens through

vessels' ballast water and sediments, may specify additional standards or requirements consistent with international law.

(2) Prior to establishing standards or requirements under sub-paragraph (1), the Director- General shall consult with adjacent or other administrations that may be affected by such standards or requirements and shall follow the procedure laid down under sub-paragraphs (3) and (4).

(3) The Director-General, while implementing additional measures in accordance with sub-paragraph (1) may–

(a) take into account the guidelines developed by the Organisation;

(b) communicate the intention to establish additional measures to the Organisation within six months, except in emergencies or epidemic situations, prior to the projected date of implementation of measures, which shall include–

(i) the precise co-ordinates where the additional measures are applicable;

(ii) the need and reasoning for the application of the additional measures, including, whenever possible, benefits;

(iii) a description of the additional measures; and

(iv) any arrangements that may be provided to facilitate vessel's compliance with the additional measures;

(c) to the extent required by customary international laws reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, as appropriate, obtain the approval of the Organisation.

(2) The Director-General, while implementing such additional measures, shall endeavor to make available all appropriate services, which may include but not limited to notification to mariners of areas, available and alternative routes or ports, as far as practicable, in order to ease the burden on the vessel.

(3) The additional measures adopted by the Director-General shall not compromise the safety and security of the vessel and in any circumstance not in conflict with any other international instruments to which India is a party.

(4) The Director-General may, for a specific period of time or in specific circumstances, temporarily waive the additional measures taken under sub-paragraph (1).

8. Warnings concerning ballast water uptake in certain areas and related flag State measures.– (1) The Director-General shall notify mariners of areas under its jurisdiction where vessels shall not uptake ballast water due to known conditions and warnings may be issued for areas–

(a) known to contain outbreaks, infestations, or populations of harmful aquatic organisms and pathogens (e.g., toxic algal blooms) which are likely to be of relevance to ballast water uptake or discharge;

(b) near sewage outfalls; or

(c) where tidal flushing is poor or times during which a tidal stream is known to be more turbid.

(2) The Director-General shall notify the Organisation and any potentially affected coastal States of any area identified in sub-paragraph (1) and the time period for which such warning is likely to be in effect.

(3) The notice to the Organisation and any potentially affected coastal States under sub-paragraph (2) shall include the precise co-ordinates of the area or areas and where possible, the location of any alternative area or areas for the uptake of ballast water.

(4) The notice under sub-paragraph (3) shall include advice to vessels needing to uptake ballast water in the area, describing arrangements made for alternative supplies.

(5) The Director-General shall also notify mariners, the Organisation, and any potentially affected coastal States when a given warning is no longer applicable.

Part – III

STANDARDS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT

9. Ballast water exchange standard.– (1) Vessels performing ballast water exchange in accordance with this paragraph shall do so with an efficiency of at least ninety-five per cent. volumetric exchange of ballast water.

(2) For vessels exchanging ballast water by the pumping-through method, pumping through three times the volume of each ballast water tank shall be considered to meet the standard specified in sub-paragraph (1).

(3) Pumping through less than three times the volume may be accepted provided the vessel can demonstrate that at least ninety-five per cent. volumetric exchange is met.

10. Ballast water performance standard.– (1) Vessels conducting ballast water management in accordance with this paragraph shall discharge less than 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to fifty micrometers in minimum dimension and less than ten viable organisms per milliliter less than fifty micrometers in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometers in minimum dimension, and discharge of the indicator microbes shall not exceed the specified concentrations specified in sub-paragraph (2).

(2) The Indicator microbes, as a human health standard, shall include–

(a) Toxicogenic *Vibrio cholerae* (O1 and O139) with less than 1 colony forming unit (cfu) per 100 millilitres or less than 1 cfu per1 gram (wet weight) zooplankton samples;

(b) *Escherichia coli* less than 250 cfu per 100 millilitres;

(c) Intestinal Enterococci less than 100 cfu per 100 milliliters.

11. Approval requirements for ballast water management systems.– (1) Except as specified in sub-paragraph (2), ballast water management systems used to comply with these rules shall be approved by the Director-General, in the following manner, namely: –

(a) ballast water management systems installed on or after 28th October, 2020 shall be approved in accordance with the BWMS Code, as may be amended; and

(b) ballast water management systems installed before 28th October, 2020 shall be approved taking into account the guidelines developed by the Organisation or the BWMS Code, as may be amended.

(2) The ballast water management systems which make use of active substances or preparations containing one or more active substances to comply with these rules shall be approved by the Director-General, based on a procedure developed by the Organisation, which shall specify the approval and withdrawal of approval of active substances and their proposed manner of application.

(3) In the case of withdrawal of approval, the use of the relevant active substance or substances shall be prohibited within one year after the date of such withdrawal.

(4) The ballast water management systems must be safe in terms of the vessel, its equipment and the crew.

12. Prototype ballast water treatment technologies.– (1) If any to which these rules do not apply, participates in a program approved by the Director-General, to test and evaluate promising ballast water treatment technologies, then the standard in paragraph 10 shall not apply to that vessel until five years from the date of such participation.

(2) If any vessel to which these rules apply, participates in a program approved by the Director-General, taking into account the guidelines developed by the Organisation, to test and evaluate promising ballast water technologies with the potential to result in treatment technologies achieving a standard higher than that in paragraph 10, then the standard in paragraph 10 shall cease to apply to that vessel for five years from the date of installation of such technology.

(3) In establishing and carrying out any program to test and evaluate promising ballast water technologies, the Director-General shall—

(a) take into account guidelines developed by the Organisation; and

(b) allow participation only by the minimum number of vessels necessary to effectively test such technologies.

(4) Throughout the test and evaluation period, the treatment system must be operated consistently and as designed

Second Schedule
[*See* rule 13]
Form I- INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

Issued under the provisions of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of India
by.....
(full designation of the competent person or Organisation authorised under the provisions of the Convention)

Particulars of ship

Name of ship .....

Distinctive number or letters .....

Port of registry .....

Gross Tonnage .....

IMO number .....

Date of Construction .....

Ballast Water Capacity (in cubic meters) .....

Method of Ballast Water Management used .....

Date installed (if applicable) (dd/mm/yyyy) .....

Name of manufacturer (if applicable) .....

The principal Ballast Water Management method(s) employed on this ship is/are:

- ☐ in accordance with regulation D-l
- ☐ in accordance with regulation D-2
  (describe)
- ☐ the ship is subject to regulation D-4
- ☐ other approach in accordance with regulation ……..

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention: and
2. That survey shows that Ballast Water Management on the ship complies with the Annex to the Convention.

This Certificate is valid until ..... subject to surveys in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention.

1. Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2. IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organisation by a resolution A.1117 (30) as may be amended

Completion date of the survey on which this Certificate is based: dd/ mm/ yyyy

Issued at .....
(Place of issue of Certificate)

…….. ……..
(Date of issue) *(Signature of authorised official issuing the Certificate)*

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S)

THIS IS TO CERTIFY that a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Convention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

Annual survey: Signed.....
(Signature of duly authorised official)
Place.....
Date.....
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual* /Intermediate survey*: Signed.....
(Signature of duly authorised official)
Place .....
Date.....
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual*/ Intermediate survey*: Signed.....
(Signature of duly authorised official)
Place .....
Date.....
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed.....
(Signature of duly authorised official)
Place .....
Date.....
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate.

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION E-5.3 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.3 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until.....

Signed .....

(Signature of authorised official)

Place .....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION E-5.4 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.4 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until

Signed .....

(Signature of authorszed official)

Place .....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION E-5.5 OR E-5.6 APPLIES

This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6* of the Annex to the Convention, be accepted as valid until.....

Signed .....

(Signature of authorised official)

Place.....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

** Delete as appropriate*

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION E-5.8 APPLIES

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is…….

Signed.....

(Signature of authorised official)

Place.....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is……..

Signed .....

(Signature of duly authorised official)

Place.....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate

Form II- INDIAN BALLAST WATER MANAGEMENTCERTIFICATE

Issued under the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026 on vessels under the authority of the Government of India

by.....

(full designation of the competent person or Organisation authorised)

Particulars of vessel

Name of vessel .....

Distinctive number or letters .....

Port of registry .....

Gross Tonnage .....

IMO number .....

Date of Construction .....

Ballast Water Capacity (in cubic meters) .....

Details of Ballast Water Management Method(s) Used

Method of Ballast Water Management used .....

Date installed (if applicable) .....

Name of manufacturer (if applicable) .....

The principal Ballast Water Management method(s) employed on this vessel is/are:

- ☐ in accordance with paragraph 9 of the First Schedule
- ☐ in accordance with paragraph 10 of the First Schedule (describe).....
- ☐ the vessel is subject to paragraph 12 of the First Schedule

THIS IS TO CERTIFY THAT:

1. The vessel has been surveyed in accordance with rule 10 of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026; and
2. The survey shows that Ballast Water Management System on the vessel complies with the applicable requirements of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026

This Certificate is valid until …… subject to surveys in accordance with rule 10

Completion date of the survey on which this Certificate is based: dd/ mm/ yyyy

Issued at .....

(Place of issue of certificate)

…… ……..

(Date of issue) *(Signature of authorised official issuing the certificate)*

(Seal or stamp of authority, as appropriate)

---

3. Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
4. IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organisation by a resolution A.1117 (30) as may be amended

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S)

THIS IS TO CERTIFY that a survey required by rule 10 of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026, and vessel was found to comply with the relevant provisions of the rules:

Annual survey: Signed.....

(Signature of duly authorised official)

Place.....

Date.....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual*/ Intermediate survey*: Signed.....

(Signature of duly authorised official)

Place .....

Date.....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual* /Intermediate survey*: Signed.....

(Signature of duly authorised official)

Place .....

Date.....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed.....

(Signature of duly authorised official)

Place .....

Date.....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

** Delete as appropriate.*

ANNUAL OR INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH RULE 14(8)(c)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual or intermediate* survey in accordance with clause (c) of sub-rule (8) of rule 14 of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026, and the vessel was found to comply with the relevant provisions of the rules:

Signed .....

(Signature of authorised official)

Place .....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

** Delete as appropriate*

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE RULE 14 (3) APPLIES

The vessel complies with the relevant provisions of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026, and this Certificate shall, in accordance with sub-rule (3) of rule 14, be accepted as valid until

Signed .....

(Signature of authorised official)

Place .....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND RULE 14(4) APPLIES

The vessel complies with the relevant provisions of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026 and this Certificate shall, in accordance with sub-rule (4) of rule 14, be accepted as valid until

Signed .....

(Signature of authorised official)

Place .....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE RULE14 (5) AND 14 (6) APPLIES

This Certificate shall, in accordance with sub-rules (5) and (6) of rule 14 of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026, be accepted as valid until .....

Signed .....

(Signature of authorised official)

Place.....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

** Delete as appropriate*

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE RULE 14 (8) APPLIES

In accordance with sub-rule (8) of rule 14 of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026, the new Anniversary date is

Signed.....

(Signature of authorised official)

Place.....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with sub-rule (8) of rule 14 of the Merchant Shipping (Control and Management of Vessels Ballast Water and Sediments) Rules, 2026, the new Anniversary date is

Signed .....

(Signature of duly authorised official)

Place.....

Date .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

FORM - III- BALLAST WATER RECORD BOOK
[*See* paragraph 2 of First Schedule]

BALLAST WATER RECORD BOOK
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS

Name of ship	……

IMO number, distinctive numbers or letters
.....

Gross tonnage.....

Flag.....

Total Ballast water capacity (in cubic meters)	……..
Number of International Ballast Water Management Certificate	……

Period From	……		To	……

A diagram identifying the ballast tanks of the ship, corresponding to the Ballast Water Management Plan, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow carriage of ballast water, is integral to and shall be part of this Ballast water Record Book

(1) Introduction

In accordance with regulation B-2 of the Annex to the Convention or paragraph 2 of the First schedule, as the case may be, a record is to be kept of each Ballast Water operation. This includes discharges at sea and to reception facilities.

"Ballast Water" means water with its suspended matter taken onboard a ship to control trim, list, draught, stability, or stresses of a ship. Management of ballast water shall be in accordance with an approved ballast water management plan and taking into account guidelines developed by the Organisation.
The Ballast water record book entries should be completed, taking into account any guidelines developed by the Organisation
The volume of ballast water onboard should be estimated in cubic meters. It is recognised that the accuracy of estimating volumes of ballast water is left to interpretation.

(2) Entries in the Ballast Water Record Book

Entries in the Ballast Water record book shall be made on each of the following occasions:

(a) When the Ballast water in taken onboard from the aquatic environment (ballasting operation)

(1) Start time and location (port of uptake or latitude/longitude);

(2) Completion time and location (port of uptake or latitude/ longitude and minimum depth of water during uptake);

(3) The identity of the tanks affected;

(4) Estimated volume of uptake and final total quantity retained in cubic meters;

(5) Whether conducted in accordance with the approved Ballast Water Management Plan; and

(6) Ballast water treatment method.

(b) When ballast water is discharged into the aquatic environment (deballasting operation)

(1) Start time and location (port of discharge or latitude/ longitude);

(2) Completion time and location port of discharge or latitude/ longitude and minimum depth of water during discharge);

(3) The identity of tanks affected;

(4) Estimated volume of discharge and final total quantity retained in cubic meters;

(5) Whether conducted in accordance with the approved Ballast Water Management Plan; and

(6) Ballast Water treatment method.

(c) Whenever ballast water is exchanged, treated through internal circulation or treated in tank

(1) Ballast Water Exchange

(i) Start time and location (latitude/ longitude);

(ii) Completion time and location (latitude/longitude);

(iii) minimum distance from the nearest land and minimum depth of water during the exchange or, if applicable, identify the designated exchange area in accordance with regulation B-4.2 of the Convention;

(iv) Whether conducted in accordance with the Ballast water management plan and state the ballast water exchange method (sequential or flow-through or dilution) used;

(v) the identity of the tanks affected;

(vi) total quantity exchanged and final total quantity onboard in cubic meters

(vii) treatment method for the incoming ballast water.

(2) Ballast water internal circulation for treatment or in-tank treatment

(i) Start time;

(ii) Completion time;

(iii) The identity of the tanks affected (identifying source and destination tanks if applicable);

(iv) Total quantity treated (through circulation or in tank) in cubic meters; and

(v) Ballast water treatment method.

(d) Uptake or discharge of ballast water from/to a port-based or reception facility

(1) Start time and location of uptake/discharge (state facility name);

(2) Completion time;

(3) Operation carried out (whether uptake or discharge);

(4) The identity of the tanks affected;

(5) Total quantity in cubic meters and final quantity retained onboard;

(6) Whether conducted in accordance with the approved Ballast Management Plan; and

(7) Onboard ballast water treatment method.

(e) Accidental discharge/ingress or other exceptional uptake or discharge of ballast water

(1) Start time and location of ingress/ uptake/ discharge (port name or latitude/longitude;

(2) Completion time;

(3) Operation carried out (whether ingress, uptake or discharge);

(4) The identity of the tanks affected;

(5) Total quantity of ballast water in cubic meter; and

(6) State the circumstances of ingress, uptake, discharge or loss, the reason thereof, any treatment method used and general remarks.

(f) Failures and inoperabilities (Failures and inoperabilities include malfunctions, shutdowns or critical alarms indicating a failure of the ballast water management system which may indicate non-compliance

with the D-2 standard of the Convention, (except routine information and warnings)

(1) time and location (port name or latitude/longitude) of failure of ballast water management system;

(2) Operation carried out (state whether uptake or discharge);

(3) Description of the issue (e.g. Kind of alarm or other description of circumstances); and

(4) time and location (port name or latitude/longitude) when the ballast water management system has been made operational.

(g) Ballast tank cleaning/ flushing, removal and disposal of sediments

(1) Time and vessel's location on commencement of ballast tank cleaning/ flushing, removal or disposal of sediments (port name or latitude/longitude);

(2) time and vessel's location on completion of ballast tank cleaning. Flushing, removal or disposal of sediments (port name or latitude/longitude);

(3) Tank(s) identification (name of the ballast tanks as per the Ballast Water Management Plan);

(4) Discharge or disposal to a reception facility (state quantity in cubic meters and name of the facility); and

(5) Disposal or discharge to the aquatic environment as per Ballast Water Management Plan (state quantity in cubic meters, minimum distance from the nearest land in nm and minimum depth of the waters in meters).

(h) Additional operational procedures and general remarks

Sample Ballast Water Record Book Page

Name of vessel……
IMO Number, distinctive numbers or letters……

Date	Code (letter)	Item (number)	Record of operations/ signature of officer in charge

Signature of the master……

[F. No. SY-19014/198/2025-MG-Part(2)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.08.13 15:39:14 +05'30'